इंडिया एक्ज़िम बैंक

सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

विषय–सूची

एक्ज़िम बैंक के बारे में	02
इस रिपोर्ट के बारे में	05
प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	06
हितधारक संपर्क और प्रभाव मूल्यांकन	08
बैंक के लिए ईएसजी प्रभाव विषय	10
पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन	13
समावेशी वृद्धि और सामाजिक–आर्थिक विकास	23
विविधता और कर्मचारी कल्याण	32
उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और अभिशासन (गवर्नेंस)	35

हमारे बारे में विस्तार से जानने के लिए
कृपया लॉग ऑन कीजिए
https://www.eximbankindia.in/hindi/

एक्ज़िम बैंक के बारे में

एक नजर में

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना, समय-समय पर यथा संशोधित, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत एक निगम के रूप में की गई थी। बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। एक्ज़िम बैंक, पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण तथा संवर्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बैंक भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। बैंक भारतीय कंपनियों को उनके व्यवसाय चक्र के सभी चरणों में व्यापक सहायता प्रदान करता है। बैंक के वित्तीय उत्पाद भारतीय निर्यातकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी के आयात, निर्यात उत्पादों का विकास, विनिर्माण, मार्केटिंग, शिपमेंट और बाजारों तक पहुंच बनाने और वैल्यू चेन लिंकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं।

पॉलिसी बैंक के रूप में बैंक, सहभागी देशों को उनकी विकास प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए वित्त प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने के साथ-साथ उच्च मूल्य वर्धित और प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर भारत सरकार की विकास साझेदारी को सुगम बनाने में सहायक रहा है।

बैंक के हितधारक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाओं से लाभान्वित होते हैं। इनमें अनुसंधान, मार्केटिंग सहयोग, क्षमता विकास कार्यशालाएं और ग्रासरूट स्तर के उद्यमों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ सेमिनारों, वेबिनारों तथा एक्ज़िम मित्र पोर्टल के माध्यम से संबंधित जानकारियों का प्रसार करना शामिल है।

बैंक के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय सजगता भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना आर्थिक विकास। बैंक अपने इस उत्तरदायित्व को समझता है और इसे ध्यान में रखते हुए अपने सभी परिचालनों में सस्टैनेबिलिटी को लेकर प्रतिबद्ध है। बैंक का फोकस दोतरफा है – 'हरित का वित्तपोषण' और 'हरित का हरितीकरण'। बैंक हरित क्षेत्रों में कंपनियों और परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर हरित का वित्तपोषण करता है। वहीं, ऋण मूल्यांकन में पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) संबंधी जोखिम आकलन को एकीकृत कर सक्रियता से वित्त का हरितीकरण करता है। यह दोतरफा दृष्टिकोण उत्तरदायित्वपूर्ण और पर्यावरण के प्रति जागरूक वित्तपोषण सुनिश्चित करता है।

विजन

भारतीय व्यवसायों का वैश्वीकरण और सहयोगी देशों के विकास में सुदृढ़ सहयोग करना

मिशन

भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाना और वित्तीय, सामाजिक तथा पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में सहयोगी देशों की विकास प्राथमिकताओं में सहायता प्रदान करना

भौगोलिक उपस्थिति

बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। अहमदाबाद, बैंगलूरु, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आबिदजान, ढाका, दुबई, जोहान्सबर्ग, नैरोबी, साओ पाओलो, सिंगापुर और वाशिंगटन डीसी में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं और लंदन में एक शाखा है।

हमारा योगदान

निर्यातकों को मध्यम से दीर्घावधि ऋणों में सहयोग प्रदान करने में बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार, बैंक भारत के निर्यातों का परिष्कार करने में योगदान देता है। बैंक की ऋण गतिविधियों को निर्यात ऋण जो मुख्य रूप से परियोजना निर्यात और निर्यात क्षमता विकास हेतु वित्तपोषण में वर्गीकृत किया जा सकता है। बैंक भारतीय कंपनियों को उनके व्यवसाय परिचालनों से जुड़े कार्यों के लिए गैर-निधिक ऋण सुविधाएं भी प्रदान करता है। इनमें परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों के लिए गारंटियां और विदेशी उधारियों के लिए गारंटियां, साख पत्र, आपाती साख पत्र और अन्य बैंकों के साथ जोखिम प्रतिभागिता जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

तालिका 1 : बैंक की बकाया ऋण आस्तियां

ऋण का प्रकार	यथा 31 मार्च, 2023 को		यथा 31 मार्च, 2024 को		यथा 31 मार्च, 2025 को	
	₹ बिलियन	कुल का %	₹ बिलियन	कुल का %	₹ बिलियन	कुल का %
निर्यात ऋण (क)	1,037.55	77.13%	1,103.15	70%	1,202.73	65%
निर्यात क्षमता विकास के लिए वित्त (ख)	307.68	22.87%	472.87	30%	654.66	35%
कुल निधिक (क+ख)	1,345.23	100%	1,576.02	100%	1,857.39	100%
गैर-निधिक	170.00		153.46		169.31	

मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति

बैंक ने अपने परिचालनों की व्यापक समीक्षा की है और देश की बदलती प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप एक दूरंदेशी कार्ययोजना तैयार की है। बैंक की इस रणनीति में परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहयोग बढ़ाने, भावी निर्यात क्षमता वाले प्रमुख और बड़े क्षेत्रों के विकास में योगदान देने, विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के जरिए संपूर्ण चक्र में बैंक की भूमिका को बढ़ाने, नए उत्पादों के डिजिटलीकरण, ईएसजी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने और भारत तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बैंक की मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति

- परियोजना निर्यातों पर फोकस जारी रखना – बाजार विविधीकरण में सहयोग और नए परियोजना निर्यातकों को बढ़ावा देना
- गैर-पारंपरिक बाजारों में कदम रखने और मौजूदा बाजारों में मौजूदगी बढ़ाने के लिए सहयोग
- भारत की विकास भागीदारी के अंतर्गत परियोजना चिह्नित करने की तीव्रतर प्रक्रिया, बेहतर निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन में दृढ़तर भूमिका
- मौजूदा कार्यक्रमों और नई पहलों के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग
- क्रेता ऋण, विदेशी निवेश वित्त और निर्यात उन्मुख इकाइयों को मीयादी ऋण जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और नए सुगमीकरण कार्यक्रम शुरू करना
- ईएसजी ऋण पोर्टफोलियो बनाना और निर्यातकों को ईएसजी के अनुपालन में सहायता करना
- निर्यातों के लिए प्रमुख और बड़े क्षेत्रों पर फोकस के साथ क्षेत्र केंद्रित ऋण
- डिजिटल क्षमताएं बढ़ाना और उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना

इस रिपोर्ट के बारे में

इस रिपोर्ट में बैंक में सस्टैनेबिलिटी रणनीति, नीतियों, पहलों और कार्यनिष्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

बैंक वित्तीय वर्ष 2022–23 से स्वेच्छा से सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, जिससे पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) के संबंध में बैंक की प्रतिबद्धता और प्रगति का पता चलता है। इस पहल को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसकी थीम है, '**विषम परिस्थितियों में निर्यात को सुगम बनाए रखना**' इस रिपोर्ट में ईएसजी जोखिमों को कम करने में हुई प्रगति, बैंक की गतिविधियों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के प्रबंधन, सुदृढ़ गवर्नेंस और संपोषी विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित किया गया है।

यह रिपोर्ट पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से निर्यात को सुगम बनाने पर केंद्रित बैंक के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है। इसमें देश के दूर–दराज के इलाकों में स्थित व्यवसायों सहित भारतीय व्यवसायों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने; ईएसजी से संबंधित गैर–टैरिफ बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाले विषम व्यापार परिवेश में भी इन व्यवसायों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाते हुए इन्हें सुदृढ़ बनाए रखने; और एक अधिक संपोषी और समावेशी विकास में योगदान देने के लिए बैंक की पहलों को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्टिंग दिशानिर्देश, दायरा और सीमा

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त प्रमुख निष्पादन संकेतक और प्रकटीकरण 'ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव' (जीआरआई) मानक 2021 के अनुरूप हैं। रिपोर्ट में एकल आधार पर बैंक की गतिविधियों और प्रगति को शामिल किया गया है। यह बैंक की तीसरी सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट है, जिसमें 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि से संबंधित जानकारी शामिल है। रिपोर्ट का दायरा और सीमा बैंक के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालनों से संबंधित है।

बैंक के संबंध में प्रभाव विषयों की समीक्षा करने के लिए, बैंक द्वारा जीआरआई मानक 2021 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा एक नया प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन के आधार पर, बैंक के लिए प्रभाव विषयों को क्रमबद्ध किया गया है। इस रिपोर्ट में ऐसे प्रभावों को रेखांकित किया गया है, जिनका बैंक पर आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस की दृष्टि से प्रभाव पड़ता है और जो सभी प्रमुख हितधारकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट में जीआरआई विषय–वस्तु सूचकांक (कंटेंट इंडेक्स) भी शामिल किया गया है। इस सूचकांक में जीआरआई मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं और उनके अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों का रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट की विषयवस्तु की बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की गई है और अनुमोदित किया गया है।

पुनर्कथन

रिपोर्टिंग वर्ष में, सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट में प्रदान की गई जानकारी के कोई पुनर्कथन नहीं रहे।

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

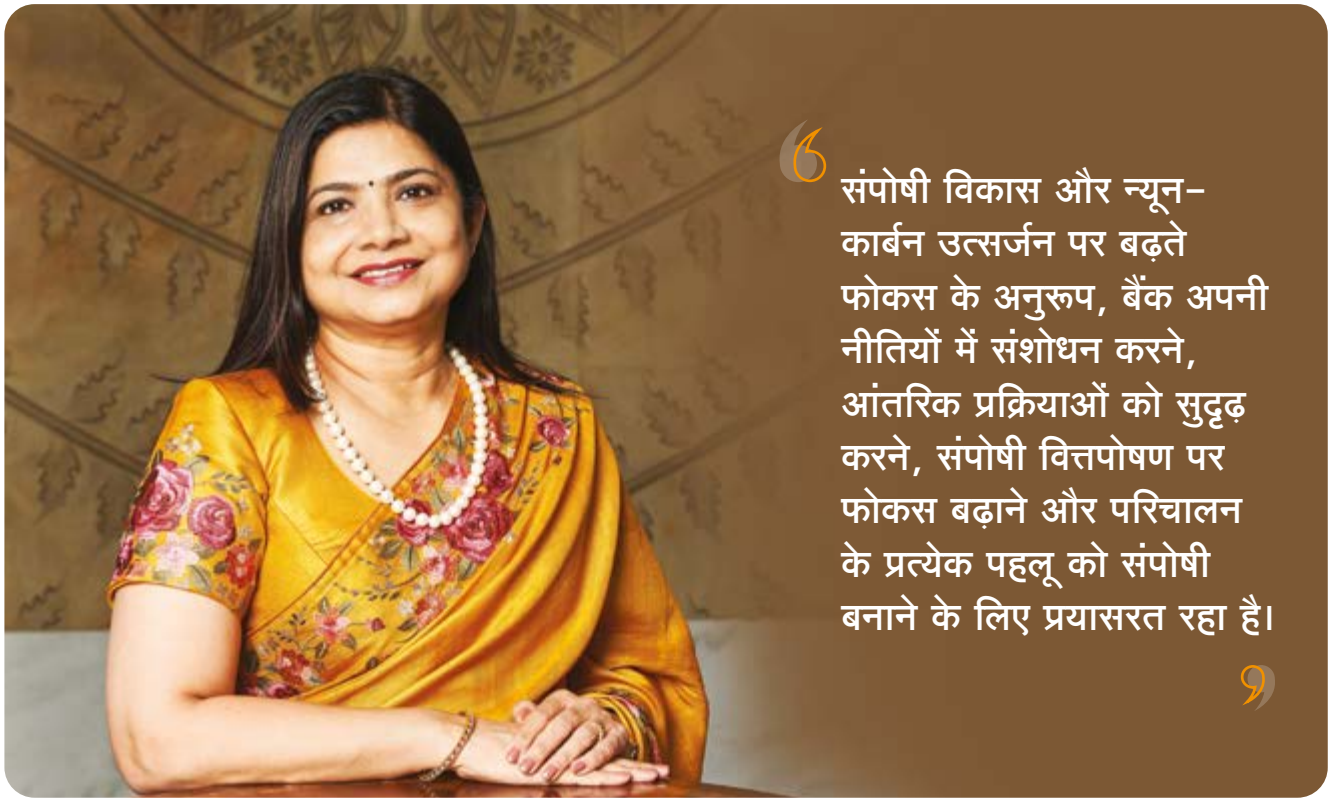

वर्ष 2024 में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा। हमारा देश 2047 तक 'विकसित भारत' का स्वप्न साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत के इस संकल्प की पूर्ति में संरचनात्मक सुधारों, जन सांख्यिकीय लाभांश, अवसंरचना विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण जैसे कई महत्त्वपूर्ण कारकों की उल्लेखनीय भूमिका है।

भारत विश्व में आर्थिक शक्ति के साथ-साथ जलवायु संबंधी उपायों के लिए भी जाना जा रहा है। अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के मामले में भारत विश्व के शीर्ष तीन देशों में से एक है। वर्ष 2024 में, भारत के संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का 83% निवेश अक्षय ऊर्जा में रहा और गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता बढ़कर 44% हो गई। ये आंकड़े स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाते हैं। भारत जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के क्रम में जलवायु वित्त के लिए राष्ट्रीय वर्गीकरण संबंधी अपनी एक व्यवस्था भी विकसित कर रहा है।

भारत, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, रेजिलिएंट द्वीपीय राज्यों हेतु अवसंरचना, बिग कैट अलायंस और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के जरिए वैश्विक जलवायु परिवर्तनों संबंधी उपायों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों की बदलती प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद विकसित करता रहा है। संपोषी विकास और न्यून-कार्बन उत्सर्जन पर बढ़ते फोकस के अनुरूप, बैंक अपनी नीतियों में संशोधन करने, आंतरिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, संपोषी वित्तपोषण पर फोकस बढ़ाने और परिचालन के प्रत्येक पहलू को संपोषी बनाने के लिए प्रयासरत रहा है।

बैंक द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित की जाने वाली यह सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट बैंक के संपोषी प्रयासों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और हितधारक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के क्रम में एक ठोस कदम है। बैंक की यह तीसरी सस्टैनेबिलिटी रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव मानक के अनुरूप तैयार की गई है, ताकि इससे हितधारकों को स्पष्ट, तुलनीय और विश्वसनीय जानकारी मिल सके।

न्यून कार्बन उत्सर्जन और संपोषी विकास में सहयोग

बैंक प्रमुख निर्यात बाजारों में यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जैसी बढ़ती जलवायु संबंधी गैर-टैरिफ बाधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनियों की निर्यात तत्परता को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में निजी क्षेत्र न्यून कार्बन उत्सर्जन के प्रति सजग हो रहा है और इसे व्यवसाय को सुदृढ़ करने, स्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में आने, प्रक्रियाओं को सुगम करने, उभरते क्षेत्रों को

बढ़ावा देने और बाजार पहुंच को सुगम बनाने के अवसर के रूप में देख रहा है।

इसी क्रम में, बैंक ने अपने वाणिज्यिक ऋण व्यवसाय के अंतर्गत संपोषी वित्त कार्यक्रम (एसएफपी) की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र भारतीय कंपनियों की हरित, संपरिवर्तन (ट्रांजिशन), सामाजिक और संपोषी विकास से संबद्ध परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है। इस कार्यक्रम के जरिए बैंक हरित क्षेत्रों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्र के अपने उधारकर्ताओं को संपोषी पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, जहां ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करना चुनौतीपूर्ण है। नवंबर 2023 में इस कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से बैंक ने इसके अंतर्गत अब तक 36 उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान की है। यह सहायता सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी (क्लीनटेक), संपोषी कृषि, संपोषी समाधानों, बायोडिग्रेडेबल डिनरवेयर आदि सहित विविध क्षेत्रों में प्रदान की गई है। यह सहयोग न केवल बड़ी कंपनियों को बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों, संपोषी सामुदायिक कृषि से जुड़े सामाजिक उद्यमों और संपोषी समाधानों में अग्रणी नवोद्यमों को भी प्रदान किया गया है। इस सहयोग में हरित वित्त के साथ-साथ शिपिंग और गैर-लौह धातुओं जैसे उद्योगों को हरित पद्धतियां अपनाने के लिए प्रदत्त संपरिवर्तन वित्त भी शामिल है।

बैंक द्वारा संपोषी वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बैंक को अपने इस कार्यक्रम के लिए 'पर्यावरणीय विकास' श्रेणी के अंतर्गत एशिया और प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

बैंक भारत के विकास भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागी देशों के संपोषी विकास और न्यून कार्बन उत्सर्जन में भी निरंतर सहयोग कर रहा है। बैंक द्वारा अन्य के साथ-साथ, अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और प्रदूषण रोकथाम जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है। इस प्रकार बैंक अधिक संपोषी कल के निर्माण में योगदान दे रहा है।

संसाधन जुटाना

हरित, संपरिवर्तन और संपोषी विकास संबद्ध वित्तपोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता और इस प्रकार के बढ़ते आस्ति-पोर्टफोलियो के साथ बैंक अपनी रणनीति को बड़े और उभरते अंतरराष्ट्रीय ईएसजी संसाधनों का सदुपयोग करने के क्रम में तैयार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए ब्राज़ीलियाई रियाल में 150 मिलियन यूएस डॉलर के दो अल्पावधि संपोषी बॉन्ड जारी किए। इस ट्रांजैक्शन के जरिए बैंक ने अपने निवेशकों का लैटिन अमेरिकी बाजार में विविधीकरण किया।

कार्बन फुटप्रिंट

बैंक संपोषी पर्यावरण प्रतिबद्धता के अंतर्गत अपने कार्बन उत्सर्जन को मापने और उसे कम करने के लिए जरूरी कदम उठाता रहा है। पारदर्शिता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के क्रम में, बैंक अपने उत्सर्जनों के सत्यापन के लिए एक बाह्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन करवाता रहा है। इस स्वतंत्र मूल्यांकन और सत्यापन के जरिए और अधिक संपोषी कल के निर्माण में योगदान देने की बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है।

सामुदायिक विकास और सशक्तीकरण

बैंक की संपोषी प्रतिबद्धता में पर्यावरणीय पहलुओं के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, समुदायों से जुड़ना और कर्मचारी कल्याण भी शामिल है। बैंक ने वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत भारत के 14 राज्यों में 13 पहलों को सहयोग प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विद्यार्थियों में पोषण संबंधी चुनौतियों को कम करने के क्रम में 200 छात्राओं को मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) के लिए सहयोग प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 40 गांवों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की खरीद एवं व्यवस्था के लिए 'द प्राइड इंडिया' के साथ सहभागिता की। बैंक ने पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए वृक्षारोपण के लिए आईटी-आधारित एक गैर सरकारी संगठन- 'संकल्पतरु फाउंडेशन' के साथ सहभागिता की। इस पहल के अंतर्गत बैंक ने 60,000 पेड़ लगाए हैं, जिससे 35,000 टन तक कार्बन-डाई-ऑक्साइड को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बैंक समावेशी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करता रहा है। बैंक ने 30 महिलाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, 100 बालिकाओं को एडु-लीडर और 200 बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिशियन के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान कर समावेशी कौशल विकास में योगदान दिया।

बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रयत्नशील है। बैंक द्वारा भारत सरकार की 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' पहल के अनुरूप, सहयोग के लिए पूर्वोत्तर के 5 जिलों सहित कुल 64 जिलों को चिह्नित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने 11 राज्यों के 13 जिलों में विकास पहलों को सहायता प्रदान की।

आगे की राह

वैश्विक स्तर पर जटिल होती और परस्पर संबद्ध चुनौतियों के बीच संपोषी पद्धतियों को अपनाना अब एक विकल्प भर नहीं है, बल्कि यह अत्यावश्यक हो गया है। आज लिए गए हमारे निर्णय, कल की दिशा तय करेंगे। साथ ही, एक्ज़िम बैंक भारतीय उद्यमों को नई पद्धतियों को अपनाने, नवाचार को बढ़ाने और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ने और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संपोषी विकास में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ संकल्पित है।

हर्षा बंगारी

हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

हितधारक संपर्क और प्रभाव मूल्यांकन

बैंक अपना व्यवसाय पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि दीर्घकालिक विकास का मार्ग संपोषी विकास से ही प्रशस्त होता है और आर्थिक, सामाजिक समृद्धि तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए यह अत्यावश्यक है।

बैंक ने अपनी व्यवसाय नीति, रणनीति और परिचालनों में सस्टैनेबिलिटी सिद्धांतों को एकीकृत किया है। यह बताता है कि बैंक के ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों, समुदायों, सरकार, विनियामकों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के लिए सस्टैनेबिलिटी का बढ़ता महत्त्व बैंक के लिए कितना मायने रखता है।

बैंक अपने परिचालनों को सस्टैनेबिलिटी उद्देश्यों के अनुरूप बनाते हुए अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाना, सस्टैनेबिलिटी और परिवर्तन वित्त (ट्रांज़िशन फायनैंस) पर फोकस, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा गवर्नैंस को प्रोत्साहित करना सुनिश्चित कर रहा है।

बैंक का सस्टैनेबेलिटी दृष्टिकोण भी भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के बैंक के उद्देश्य को ही पूरा करता है। भारतीय कंपनियां सहभागी देशों, व्यक्तियों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों द्वारा न्यून कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ते हुए उनकी बदलती मांगों के अनुरूप काम कर रही हैं और बैंक उन्हें उनके इन प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हितधारक संपर्क

बैंक भारत की निर्यात विकास यात्रा में सहयोग करते हुए आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ मिलकर नियमित रूप से काम करता है। इन हितधारकों में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो बैंक के परिचालनों के मुख्य प्रेरक बल हैं। हितधारकों में से एक, भारत सरकार भी है, क्योंकि बैंक भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है और पूंजीगत सहायता के लिए सरकार पर निर्भर है तथा भारत सरकार के निर्देश पर किया जाने वाला बैंक का बड़ा पॉलिसी व्यवसाय भी बैंक करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे विनियामक भी बैंक के महत्त्वपूर्ण हितधारक हैं और बैंक, इन विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा चर्चा पत्रों पर भी बारीकी से निगाह बनाए रखता है। बैंक बाजार से संसाधन जुटाता है और उन्हें आगे ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह, निवेशक भी बैंक के अहम हितधारक हो जाते हैं। बैंक के अन्य बाह्य हितधारकों में उधारकर्ता ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और विक्रेता एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) भागीदार तथा ग्रासरूट संस्थाएं शामिल हैं।

बैंक के विभिन्न समूहों के सदस्यों वाली बैंक की संपोषी वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के लिए 22 प्रभाव विषयों को चिह्नित किया। इन्हें आंतरिक हितधारकों के साथ चर्चा, समकक्ष समीक्षा और सेक्टर अनुसंधान के आधार पर चिह्नित किया गया। इन प्रभाव विषयों को पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव तथा गवर्नैंस के तीन प्रमुख थीम में वर्गीकृत किया जा सकता है। संपोषी वित्त समिति ने बैंक के हितधारकों को भी निर्णयन और ईएसजी प्रबंधन पर उनके प्रभाव की डिग्री के आधार पर क्रमबद्ध किया है।

बैंक के हितधारकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राथमिकता मामलों को समझने की दृष्टि से, हितधारकों और उनके चिह्नित संपर्कों के सर्वेक्षण भी किए गए। इसके साथ-साथ, बैंक के व्यवसाय के संबंध में प्रभाव विषयों के महत्त्व का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के प्रबंधन का सर्वेक्षण किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिसे नीचे दिए गए प्रदर्श 1 के माध्यम से दर्शाया गया है।

प्रदर्श 1: एक्ज़िम बैंक का ईएसजी प्रभाव मैट्रिक्स

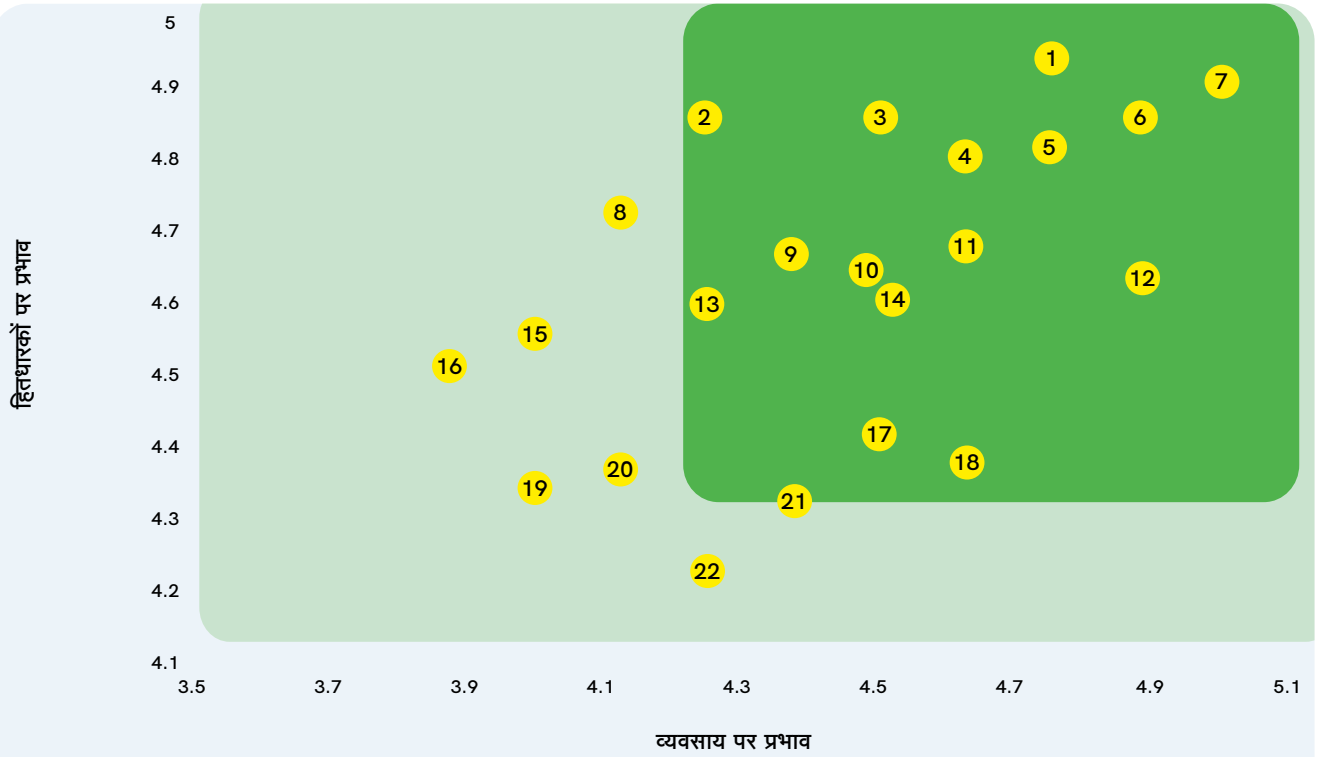

नोट: हितधारकों से प्रभाव विषयों का मूल्यांकन 1 से 5 तक के स्केल पर करने के लिए कहा गया था और सभी विषयों को इस स्केल पर 3.8 से अधिक स्कोर किया गया, जो बैंक के लिए सभी विषयों के महत्त्व को रेखांकित करते हैं। चार्ट में हरे गहरे हरे में दर्शाए गए विषय बैंक के संबंध में अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जबकि शेष मध्यम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

1. सिद्धांत और सत्यनिष्ठा
2. विनियामकीय अनुपालन
3. जोखिम प्रबंधन
4. डेटा निजता और आईटी सुरक्षा
5. सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक कल्याण
6. बैंक द्वारा सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर फोकस
7. बैंक में ईएसजी निगरानी, गवर्नेंस और सम्यक जांच
8. समुदायों पर अप्रत्यक्ष सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता
10. बैंक के कार्बन फुटप्रिंट में कमी और संसाधन दक्षता
11. कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास
12. डिजीटलीकरण
13. ग्राहक अनुभव और संतुष्टि
14. ज्ञान पूंजी का विकास
15. विविधता और समावेशन
16. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
17. कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण
18. कंपनियों को व्यापार में जलवायु संबंधित गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए बैंक द्वारा अंतरण (ट्रांज़िशन) वित्त
19. मूल्य शृंखला प्रबंधन
20. भौतिक और अंतरण जोखिम
21. हरित अंतरण और सस्टैनेबिलिटी से संबद्ध वित्त के लिए नवोन्मेषी उत्पाद
22. सामाजिक वित्त के लिए नवोन्मेषी उत्पाद

बैंक के लिए ईएसजी प्रभाव विषय

पर्यावरणीय प्रभाव

ईएसजी निगरानी, गवर्नेंस और सम्यक जांच: बैंक में अपने ऋण परिचालनों में ईएसजी जोखिमों को दूर और कम करने के लिए संपोषी विकास / उत्तरदायी वित्तपोषण संबंधी एक व्यापक नीति है। इस नीति में गवर्नेंस संरचना और जोखिम निर्धारण मॉडल निर्धारित किया गया है, जो ईएसजी मामलों में सुदृढ़ निगरानी सुनिश्चित करता है। बैंक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को समझता है और बैंक ने अपने ईएसजी जोखिम मूल्यांकन मॉडल में जलवायु जोखिम संबंधी पहलुओं को शामिल किया है। इसके अलावा, बैंक में एक ईएसजी फ्रेमवर्क लागू है, जिसमें बैंक की व्यवसाय रणनीति के अनुरूप, सकारात्मक पर्यावरणीय और/या सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए संपोषी वित्तपोषण ट्रांज़ैक्शन करने की बैंक की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

उत्तरदायी वित्तपोषण- सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर फोकस: बैंक उत्तरदायी ऋण प्रदान करने और वित्त को संपोषी गतिविधियों तथा संपोषी क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक की संपोषी वित्त समिति, बैंक की सस्टैनेबिलिटी रणनीति को कार्यान्वित करती है और अपने ऋण परिचालनों से न्यूनतम नकारात्मक और अधिकतम सकारात्मक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव के लिए व्यवसाय इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करती है।

कार्बन फुटप्रिंट में कमी और संसाधन दक्षता: बैंक धीरे-धीरे अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उठाया गया पहला अनिवार्य कदम है, मौजूदा कार्बन फुटप्रिंट को मापना और इसमें कमी लाने के वृद्धिशील उपाय चिह्नित करना। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस वर्ष, बैंक ने हवाई यात्रा से स्कोप 3 उत्सर्जन की भी गणना की है और बैंक द्वारा किए गए वृक्षारोपण के माध्यम से कम हुए उत्सर्जन प्रभाव का आकलन भी किया गया है।

हरित, परिवर्तन और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े वित्त के लिए नवोन्मेषी उत्पाद: भारतीय निर्यातकों द्वारा हरित, परिवर्तन और सस्टैनेबिलिटी से जुड़े वित्त की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, उनकी आपूर्ति शृंखलाओं में बढ़ते ईएसजी विषयों के चलते बैंक ने 'संपोषी वित्त कार्यक्रम' शुरू किया है। इस अभिनव पहल के जरिए बैंक को कंपनियों की विविध वित्तपोषण जरूरतों के लिए वित्त उपलब्ध कराने और इस तरह इन व्यवसायों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और संपोषी राहों पर आगे बढ़ने में सहयोग करने में मदद मिली है।

कंपनियों को व्यापार में जलवायु संबंधी गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए बैंक द्वारा परिवर्तन वित्त: बैंक अपने ग्राहकों के न्यून-कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने के प्रयासों में सहयोग के महत्त्व को समझता है और कंपनियों को संपोषी तथा परिवर्तन वित्त प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु से संबंधित व्यापार अवरोधों के बढ़ने और शून्य कार्बन उत्सर्जन की भारत की अपनी प्रतिबद्धता के साथ ऐसे वित्तपोषण की मांग बढ़ने की उम्मीद है। बैंक अपने संपोषी वित्त कार्यक्रम के माध्यम से कंपनियों की परिवर्तन वित्त संबंधी जरूरतें पूरी करता है।

सामाजिक-सामुदायिक प्रभाव

सामाजिक प्रभाव और सामुदायिक कल्याण: बैंक की सीएसआर नीति और सीएसआर कार्यक्रमों का उद्देश्य, सार्थक समुदायिक प्रभाव सृजित करना और संपोषी विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान देना है। इसके अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सहयोग, अन्य के साथ-साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, महिला सशक्तीकरण और खेलों में किए गए बहुआयामी उपाय जन सशक्तीकरण का माध्यम बन रहे हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।

बैंक, सहभागी देशों में जटिल बुनियादी ढांचागत और विकास परियोजनाओं के लिए उन देशों को भारत सरकार की ओर से ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। बैंक के लिए ये ऋण-व्यवस्थाएं इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके जरिए वित्तपोषित परियोजनाएं सहभागी देशों में सकारात्मक आर्थिक-सामाजिक प्रभाव की वाहक बन रही हैं और बैंक के इन ऋण परिचालनों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, बैंक के ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं (मास) कार्यक्रमों ने भी देश में पारंपरिक शिल्प कला से जुड़े लोगों, दस्तकारों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित करते हुए समाज के अपेक्षाकृत वंचित तबकों की आवश्यकताएं पूरी करने में योगदान दिया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त की उपलब्धता के अंतर को दूर करने और उन्हें निर्यात बाजारों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध

है। विकास वित्त संस्था के रूप में, बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्यात बाजारों में आगे बढ़ने में सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए हाल के वर्षों में कई नई पहलें की हैं। इनमें नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला उभरते सितारे कार्यक्रम; भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोई भी निर्यात अवसर वित्त के अभाव में न छूटे, यह सुनिश्चित करने वाला व्यापार सहायता कार्यक्रम; और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जरूरतों के अनुकूल वित्तपोषण सुविधाएं और अर्थक्षम रिसीवेबल प्रबंधन तथा फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गिफ्ट सिटी में एक सहायक कंपनी जैसी पहलें शामिल हैं।

कार्यबल स्वास्थ्य, विकास और समावेशी पहलें: बैंक ने अपने कर्मचारियों के विकास, स्वास्थ्य और निरंतर कौशल विकास की एक अनुकूल संस्कृति विकसित की है। इसके अलावा, बैंक अपने कर्मचारियों को एक ऐसा विविधीकृत और समावेशी कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर हों। बैंक में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और बैंक इसके प्रति ज़ीरो-टॉलरैंस की नीति अपनाता है।

डिजिटलीकरण पहल: बैंक तकनीक में तीव्र प्रगति का सदुपयोग करते हुए आंतरिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, कागज का प्रयोग कम करने और व्यापार तथा वित्त संबंधी जानकारी के प्रभावी प्रचार-प्रसार संबंधी पहलें कर रहा है।

ज्ञान पूंजी का सृजन: बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जानकारियों की कमी के अंतर को अपनी शोध गतिविधियों और लोकसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही बैंक देश में सुविचारित नीति निर्माण में योगदान देने के साथ-साथ कंपनियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है।

ग्राहक अनुभव और संतुष्टि: बैंक अपने ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रयासरत रहता है। बैंक निर्यातक कंपनियों की जरूरतों के अनुरूप ऐसे नए उत्पाद तैयार करता है और नई-नई पहलें करता है, जो किसी दूसरे माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही हों।

गवर्नेंस

नैतिकता और सत्यनिष्ठा: बैंक अपने परिचालनों में उच्चतम स्तर की नैतिकता और सत्यनिष्ठा के प्रति कटिबद्ध है। बैंक ने इस प्रकार की नीतियां और फ्रेमवर्क स्थापित किए हैं, जो उच्चतम पेशेवर और सैद्धांतिक मानकों का पालन करने में कर्मचारियों की मदद करते हैं। साथ ही, कर्मचारियों को बैंक की अपेक्षाओं से परिचित कराने के लिए नियमित सत्र भी संचालित किए जाते हैं।

विनियामकीय अनुपालन: बैंक, विनियामकों द्वारा निर्धारित सभी विनियामकीय दिशानिर्देशों का पालन करता है और विनियामकीय घटनाक्रम पर नजर रखता है। संबंधित आंतरिक हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें विनियामकीय घटनाक्रम की नवीनतम जानकारी मिल सके।

जोखिम प्रबंधन: बैंक में जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सुदृढ़ नीतियां, फ्रेमवर्क, प्रणाली और गवर्नेंस संरचना है। बैंक में एक विवेकसम्मत जोखिम प्रबंधन संस्कृति बनाने पर फोकस है। यानी सस्टैनेबिलिटी और ईएसजी से जुड़े जोखिमों सहित हर तरह के जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और बैंक के जोखिम प्रोफाइल की सतत निगरानी की जाती है।

डेटा निजता और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सुरक्षा: बैंक अनुकूलन और सुदृढ़ आईटी सुरक्षा प्रणालियों तथा नीति निर्माण को बढ़ावा देने में निवेश कर रहा है। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और साइबर हमलों के प्रभावी उपाय के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन

पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सदस्यों द्वारा पर्यावरण से संबंधित अधिसूचनाओं और उपायों में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-2023 के दौरान, प्रस्तुत की गई समस्त अधिसूचनाओं में से 15.9% अधिसूचनाएं पर्यावरण से संबंधित रही हैं।

इन उपायों के समय के साथ और बढ़ने की संभावना है। वजह, विभिन्न उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन प्रक्रियाओं में कम प्रदूषण फैलाने वाली प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले उपाय कर रही हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय आयोग ने एक 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (सीबीएएम) शुरू किया है। इसके तहत यूरोपीय संघ के सीमेंट, उर्वरकों और धातु-उत्पादों जैसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयातकों को अपने आयातों की मात्रा और अपने उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) की मात्रा रिपोर्ट करनी होगी। इस मैकेनिज्म के लागू होने से यूरोपीय संघ में आयातकों को सीबीएएम प्रमाणपत्र खरीदने और प्रस्तुत करने होंगे, जो उनके द्वारा आयातित सीबीएएम में निहित जीएचजी के अनुरूप होंगे। इसलिए भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अधिक हरित और संपोषी प्रौद्योगिकियों को अपनाना जरूरी होगा। अमेरिका में 'फॉरेन पल्यूटर फी एक्ट' के चलते कुछ कार्बन-गहन आयातों पर प्रदूषक शुल्क लगाया जाएगा।

जलवायु संबंधी ये उपाय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। क्योंकि भारत वस्तुओं का शुद्ध आयातक है, किन्तु व्यापार से संबद्ध कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन का शुद्ध निर्यातक है। वर्ष 2022 में, चीन और रूस के बाद भारत व्यापार से संबद्ध कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन की दृष्टि से तीसरा बड़ा शुद्ध निर्यातक था। बहुत मुमकिन है कि एक विकासशील देश के रूप में, भारत अपनी बड़ी और बढ़ती ऊर्जा मांग को ध्यान में रखते हुए अपने कार्बन उत्सर्जन में तत्काल कमी न ला पाए। इसके अलावा, भारत द्वारा अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करना एक संतुलित कार्य होगा। इस परिप्रेक्ष्य में, भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों पर पर्यावरण संबंधी गैर-टैरिफ बाधाओं का प्रभाव पड़ सकता है।

इस सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनियों के लिए पर्यावरण और सामाजिक रूप से उत्तरदायी पद्धतियों को अपनाना और न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली कंपनियों की फेहरिस्त में शामिल होना जरूरी है। बढ़ती जलवायु-संबंधी गैर-टैरिफ बाधाओं को देखते हुए संपोषी निर्यात के लिए यह जरूरी होगा। यह भारतीय कंपनियों के लिए भी लाभकारी होगा कि वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, ग्राहकों को जोड़े रखने और एक संपोषी कल के निर्माण में योगदान देने के लिए अपनी गतिविधियों को न्यून कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तित करने की दिशा में प्रयासरत रहें।

बैंक, देश से निर्यातों के वित्तपोषण, सुगमीकरण और संवर्धन के अपने मैंडेट के क्रम में, कॉर्पोरेट और लघु उद्यमों, दोनों व्यवसायों में हरित परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को प्राथमिकता देने की तात्कालिकता को समझता है। बैंक मौजूदा और उभरते निर्यातकों की हरित और न्यून-कार्बन परिवर्तन गतिविधियों को सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, बैंक ने विशेषत: पर्यावरण और सामाजिक रूप से संपोषी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाए हैं और भारत तथा सहभागी देशों में संपोषी परियोजनाओं को सक्रियता से सहायता प्रदान कर रहा है।

बैंक अपने मुख्य व्यवसाय परिचालनों में सस्टैनेबिलिटी को एकीकृत कर रहा है। बैंक ने लाभप्रदता और सस्टैनेबिलिटी को प्रभावित करने वाले विभिन्न ईएसजी जोखिमों से बचाव के लिए आंतरिक नीतियां और दिशानिर्देश लागू किए हैं। बैंक का लक्ष्य है कि अपने नए शुरू किए गए संपोषी वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2027 तक प्रत्यक्ष वाणिज्यिक ऋण के 10% तक ले जाया जाए। इसके अलावा, बैंक अपने स्वयं के परिचालनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और तकनीकी उपायों के माध्यम से संसाधन दक्षता में सुधार लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

परिचालनों में पर्यावरणीय दुष्प्रभाव में कमी और परिचालनों में संसाधन दक्षता

बैंक, भारत सरकार की शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रयास करता है कि बैंक के परिचालनों में कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि न हो, बल्कि ये इसे कम किया जाए। इसके अलावा बैंक, आरबीआई के 'जलवायु-संबंधित वित्तीय जोखिम, 2024 संबंधी प्रकटीकरण फ्रेमवर्क' में ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में प्रस्तावित उत्सर्जन संबंधी प्रकटीकरणों के महत्त्व को भी समझता है।

इस संबंध में, बैंक द्वारा अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन को मापा जा रहा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का मापन बैंक के परिचालन उत्सर्जनों को उत्तरोत्तर कम करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

बैंक का ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन

बैंक के जीएचजी उत्सर्जन को मापने के लिए 'परिचालनगत नियंत्रण दृष्टिकोण' अपनाया

गया है और इसमें बैंक के भारत स्थित सभी कार्यालयों और डेटा केंद्रों का डेटा शामिल है। मापे गए उत्सर्जन, बैंक की कारों और एयर-कंडीशनरों से लीक रेफ्रिजरैंट से प्रत्यक्ष स्कोप 1 उत्सर्जनों से जुड़े हैं; अप्रत्यक्ष स्कोप 2 उत्सर्जन खरीदी गई बिजली, डीजल से चलने वाले जेनरेटरों से जुड़े हैं; और स्कोप 3 उत्सर्जन व्यवसाय संबंधी हवाई यात्रा से जुड़े हैं। आने वाले समय में, बैंक अपनी उत्सर्जन-गहनता को मापना और अपने परिचालनों में जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रयास जारी रखेगा।

एक्ज़िम बैंक का जीएचजी उत्सर्जन (कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन टन में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
स्कोप 1 उत्सर्जन	148.65	176.79	138.89	699.35
स्कोप 2 उत्सर्जन	1,014.58	1,315.54	1,300.98	1,188.61
स्कोप 3 उत्सर्जन	99.22	308.92	328.32	383.16
कुल उत्सर्जन	**1,262.45**	**1,801.26**	**1,768.19**	**2,271.12**

नोट:

1. रिपोर्टिंग सीमा, परिचालन सीमा, उत्सर्जन के चिह्नित स्रोतों, पद्धति, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में अस्थिरता तथा गणना के लिए प्रयुक्त उत्सर्जन फैक्टर से संबंधित विवरण के लिए कृपया जीएचजी इन्वेंटरी रिपोर्ट देखिए।
2. चूंकि बैंक की संगठनात्मक एवं परिचालन सीमाओं के अंतर्गत PFCs और SF_6 उत्सर्जन के कोई प्रमुख स्रोत नहीं हैं, अतः इन गैसों के उत्सर्जन को शून्य मान लिया गया है।
3. वर्ष 2021-22 में यात्रा प्रतिबंधों और कोविड-19 महामारी के कारण बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई घर से काम करने की सुविधा के चलते कार्यालय परिसर में उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम रहा।
4. तृतीय-पक्ष/लीज पर लिए गए डीजल जनरेटर सेट्स से होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है।
5. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में जीएचजी उत्सर्जन में हुई वृद्धि कार्यालयों में वर्ष के दौरान उच्चतर रेफ्रिजरेंट लीकेज और संबंधित रीफिलिंग के कारण रहा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन टन में)

स्कोप	प्रति कर्मचारी उत्सर्जन	प्रति वर्ग फुट जीएचजी उत्सर्जन
स्कोप 1	1.23	0.003
स्कोप 2	2.09	0.005
स्कोप 3	0.67	0.002
कुल	**3.98**	**0.010**

कार्बन फुटप्रिंट कम करने और संसाधन दक्षता में सुधार के उपाय

बैंक ने अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और संपोषी कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

वृक्षारोपण अभियान: बैंक पर्यावरण प्रबंधन के महत्त्व को समझता है और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए समर्पित है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बैंक ने अपने दो आवासीय परिसरों में वृक्षारोपण अभियान चलाया। ये अभियान मुंबई में जुहू और बांद्रा स्थित आवासीय परिसरों में आयोजित किए गए, जहां कर्मचारियों और उनके परिवारों ने इस पहल में भाग लिया। समुदाय-केंद्रित इन पर्यावरणीय पहलों से हरित कल की दिशा में बढ़ने के लिए उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है।

बैंक वृक्षारोपण करने वाले आईटी-आधारित एक गैर सरकारी संगठन, संकल्पतरु फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करता रहा है। यह फाउंडेशन भारत के विभिन्न राज्यों में वनक्षेत्र बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें राजस्थान के मरुस्थल, असम में ब्रह्मपुत्र के द्वीप, लेह-लद्दाख के ठंडे स्थल, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का तटीय इलाकों जैसे दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हैं। यह संस्था ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तीकरण और स्कूलों की स्वच्छता तथा हरितीकरण को भी बढ़ावा देती है।

इस फाउंडेशन का उद्देश्य वैश्विक समुदाय के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत बनाए रखना है। इस फाउंडेशन ने लगाए गए पेड़ों को जीपीएस तकनीक के जरिए गूगल अर्थ और गूगल मैप्स के साथ जोड़ते हुए पेड़ों की भू-टैगिंग की है और अपने हितधारकों तथा योगदानकर्ताओं को पारदर्शिता प्रदान कर रहा है।

वृक्षारोपण सामाजिक उत्थान में भी सहायक है, क्योंकि इसके जरिए गरीब किसानों के खेतों में फलोत्पादक पेड़ लगाए जाते हैं और इस तरह उन्हें आजीविका का साधन मुहैया कराया जाता है। इससे सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होता है। इन पेड़ों से आसपास की पारिस्थितिकी भी बेहतर होती है, क्योंकि फलोत्पादक वृक्ष पंछियों का घरौंदा होते हैं और आसपास के क्षेत्रों के जानवरों के लिए भी लाभदायक होते हैं।

बैंक, ग्रामीण आजीविका सहायता और शहरी वृक्षारोपण के लिए संकल्पतरु फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत लगाए गए 60,000 पौधों से लगभग 35,000 टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड कम करने में मदद मिलेगी।

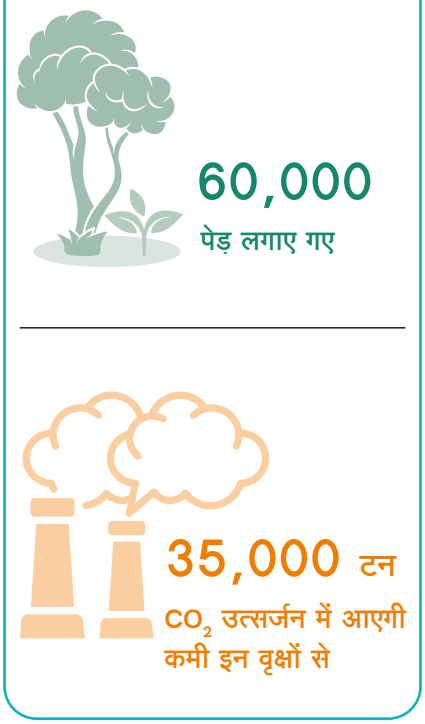

ऊर्जा संबंधी पहलें : बैंक ने मुंबई में जुहू और बांद्रा में अपने आवासीय परिसरों के साथ-साथ विश्व व्यापार केंद्र संकुल, मुंबई में अपने कार्यालय भवन के पार्किंग क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन भी बनवाए हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों के जरिए बैंक अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बैंक द्वारा अपनी मौजूदा कारों के स्थान पर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

बैंक ने ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और अपनी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं। बैंक ने कार्यालय में पुराने कम ऊर्जाक्षम एसी की जगह 5-स्टार रेटिंग वाले ऊर्जाक्षम एसी लगाए हैं। इसके अलावा, बैंक ने अपने कार्यालय परिसर में बल्ब और ट्यूबलाइटों को ऊर्जाक्षम एलईडी बल्ब/ट्यूब लाइटों से बदल दिया है, जो कम बिजली की खपत करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इन उपायों से बैंक द्वारा ऊर्जा की खपत कम होने की उम्मीद है। बैंक को अपने नई दिल्ली कार्यालय के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ग्रीन इंटीरियर्स प्लेटिनम रेटिंग भी प्राप्त है। बैंक अपनी संपोषी और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप पहचान बनाने के क्रम में मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय के लिए भी हरित कार्यालय प्रमाणन हासिल करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास में, बैंक के ले-मॉन्ड आवासीय परिसर में सौर पैनल लगाए गए हैं। सौर पैनल, भवन परिसर और स्ट्रीट लाइट के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हैं।

प्लास्टिक के उपयोग को कम करना: एकल उपयोग (सिंगल यूज़) वाले प्लास्टिक उत्पाद प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण का बड़ा कारण हैं और पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा करते हैं। बैंक सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। बैंक के कार्यालय परिसरों में प्लास्टिक के पौधों के स्थान पर प्राकृतिक पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा, चाय/कॉफी के लिए डिस्पोजेबल कपों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और उनके स्थान पर कांच के कपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने और संपोषी पद्धितियों को बढ़ावा देने के क्रम में बैंक ने बोतलबंद पेयजल के बजाय कांच की बोतलों में पेयजल रखना शुरू किया है। इन पहलों के माध्यम से, बैंक संपोषी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है और अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

जल संरक्षण: जल संरक्षण के लिए, बैंक ने शौचालयों में सेंसर-आधारित नल लगाए हैं, जो उपयोग में नहीं होने पर स्वतः बंद हो जाते हैं और पानी की बर्बादी को कम करते हैं।

कागज की खपत को कम करना: बैंक ने आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन सहित कई प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया है, जिससे कागज का उपयोग कम हो रहा है। साथ ही, डिजिटलीकरण से विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलती है, और उन्हें अधिक दक्षतापूर्ण बनाता है। आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन से लगभग 68,000 अनुरोधों की डिजिटल प्रोसेसिंग में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 26,00,000 कागजों की बचत हुई। इससे 300 से अधिक पेड़ बचाए जा सके।

सस्टैनेबिलिटी के लिए संसाधन जुटाना

ईएसजी फ्रेमवर्क

बैंक ने दिसंबर 2021 में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क (ईएसजी फ्रेमवर्क) बनाया था। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा संपोषी बॉन्ड और ऋण जारी किए जाते हैं और इनसे होने वाली आय का इस्तेमाल संपोषी अर्थव्यवस्था को सहयोग करने वाली और विकासशील देशों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मौजूदा या भावी परियोजनाओं के आंशिक या पूर्ण वित्त अथवा पुनर्वित्त के लिए किया जाता है। ईएसजी फ्रेमवर्क छह हरित (अक्षय ऊर्जा, संपोषी अपशिष्ट और जल प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन, ऊर्जा दक्षता) और चार सामाजिक क्षेत्रों (आवश्यक सेवाओं

और बुनियादी ढांचे तक पहुंच, खाद्य सुरक्षा और संपोषी खाद्य प्रणाली, एमएसएमई को वित्तपोषण, किफायती आवास) में पात्रता मानदंडों को परिभाषित करता है। इस फ्रेमवर्क की समीक्षा सेकेंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) प्रदाता – सस्टैनैलिटिक्स द्वारा की गई है। एसपीओ ने पुष्टि की है कि यह फ्रेमवर्क 'विश्वसनीय और प्रभावशाली' है और यह इंटरनैशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (आईसीएमए), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन (एपीएलएमए) और लोन सिंडिकेशन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन (एलएसटीए) द्वारा प्रशासित अनुसार, सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड दिशानिर्देश 2021, ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021 और सामाजिक बॉन्ड सिद्धांत 2021 के अनुरूप है। साथ ही, यह लोन मार्केट एसोसिएशन (एलएमए) द्वारा प्रशासित अनुसार, हरित ऋण सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 के अनुरूप है। एसपीओ ने यह भी उल्लेख किया है कि बैंक परियोजनाओं से जुड़े सामान्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से निपटने के लिए समुचित उपाय करने की अच्छी स्थिति में है।

हरित/ सामाजिक / सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड

बैंक वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप संपोषी वित्त के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं बढ़ाता रहा है। बैंक ने गत तीन वर्षों में ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कुल 1.6 बिलियन यूएस डॉलर के हरित और संपोषी बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी कर संपोषी वित्त के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए ब्राज़ीलियन रियाल (बीआरएल) में कुल 150 मिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य 2 अल्पावधि संपोषी बॉन्ड जारी किए। इन बॉन्डों में लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था द्वारा निवेश किया गया, जो बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व की अग्रणी संस्थाओं में से एक है। यह वैश्विक स्तर पर बीबीबी रेटेड श्रेणी वाले किसी जारीकर्ता द्वारा बीआरएल में किया गया पहला निर्गम था और एशिया (कोरिया को छोड़कर) से बीआरएल में पहला बॉन्ड निर्गम भी रहा। इस ट्रांज़ैक्शन के जरिए बैंक ने भारत से पहली बार किसी उभरते बाज़ार (ईएम) की मुद्रा (बीआरएल) में (मसाला बॉन्ड को छोड़कर) निर्गम जारी किया है। इसके अलावा, इस निर्गम से बैंक के संपोषी बॉन्डों के आकार और संख्या में भी वृद्धि हुई है।

2023-24 के दौरान, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए 200 मिलियन यूएस डॉलर के दो अल्पावधि संपोषी बॉन्ड जारी किए। इसी वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी नियोजन के जरिए (150 मिलियन यूएस डॉलर का) अपना पहला ग्रीन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जारी किया।

बैंक ने जनवरी 2023 में अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत 144ए/रेग-एस फॉर्मेट में 1 बिलियन यूएस डॉलर अपना पहला 10-वर्षीय संपोषी बॉन्ड जारी किया था। यह इंडिया आईएनएक्स जीएसएम ग्रीन प्लैटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला सबसे बड़ा संपोषी बॉन्ड निर्गम था। साथ ही, यह सामाजिक, हरित और संपोषी वित्तपोषण के लिए समर्पित एफ्रिनेक्स के प्लैटफॉर्म आईएफईएक्स ग्रीन पर लिस्ट होने वाला पहला संपोषी बॉन्ड था। इस बॉन्ड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट (एसबीएम) प्लैटफॉर्म पर भी लिस्ट किया गया था। बैंक को 30 जनवरी, 2024 को 1 बिलियन यूएस डॉलर के इस सीनियर सस्टैनेबिलिटी नोट निर्गम के लिए प्रतिष्ठित एसेट ट्रिपल ए अवॉर्ड्स 2024 – दक्षिण एशिया, भारत में 'सर्वोत्कृष्ट सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड' से पुरस्कृत किया गया।

ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी बैंक के पहले संपोषी बॉन्ड में निवेशकों की बढ़ी रुचि को देखते हुए, बैंक ने मार्च 2023 में निजी नियोजन के जरिए रेग-एस फॉर्मेट में 98.5 मिलियन यूएस डॉलर का अपना दूसरा संपोषी बॉन्ड जारी किया।

डिजिटल प्रक्रियाओं से कागज की अनुमानित बचत

ऐप्लिकेशन का नाम	वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कुल अनुरोध	औसत फाइल साइज	डायनैमिक पेज#	स्टैटिक पेज*	कागज के कुल पृष्ठों की अनंतिम संख्या (1 एमबी=100 पृष्ठ)
नोट मॉड्यूल	8,584	1.2 MB	49,783	4,48,051	4,97,834
भुगतान मॉड्यूल	11,331	1 MB	71,596	7,63,692	8,35,288
व्यवसाय प्रक्रिया	1,556	1 MB	54,080	2,83,920	3,38,000
हॉलिडे होम	1,468	500 KB	5,050	3,920	8,970
मानव संसाधन प्रबंधन	21,568	1.1 MB	64,350	1,50,150	2,14,500
प्रशासनिक	5,614	1 MB	19,500	1,56,000	1,75,500
विधिक मॉड्यूल	290	200 KB	3,200	0	3,200
यात्रा मॉड्यूल	1,799	लागू नहीं	5,800	4,500	10,300
ओवरसीज	403	400 KB	7,505	3,600	11,105
विविध	9,334	700 KB	70,000	4,20,000	4,90,000
रिपोर्ट (पावर बीआई/एसएसआरएस/एडीएफ)	6,500	650 KB	19,500	0	19,500
कुल	68,447		3,70,364	22,33,833	26,04,197

नोट: *स्टैटिक पेज स्कैन की गई प्रतियां हैं। # डायनैमिक पेज सिस्टम से जेनरेट हुए दस्तावेज हैं।

प्राप्त राशियों का उपयोग

संपोषी बॉन्डों की निवल प्राप्त राशियों का उपयोग बैंक के ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऐसी पात्र परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जो इस फ्रेमवर्क में चुनिंदा हरित और सामाजिक श्रेणियों के अनुरूप हों। इनमें अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आधारभूत सेवाओं और अवसंरचना तक पहुंच और बुनियादी ढांचा, किफायती आवास और सस्टैनेबल जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

प्राप्त राशियों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रक्रिया

बैंक की संपोषी वित्त समिति द्वारा इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र परियोजनाओं को चिह्नित किया गया। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये परियोजनाएं न केवल इस फ्रेम वर्क और एसपीओ में चिह्नित अनुसार 'प्राप्त राशियों का उपयोग' का अनुपालन करती हैं, बल्कि एक्ज़िम बैंक में लागू, हरित बॉन्ड सिद्धांतों और सामाजिक बॉन्ड सिद्धांतों और एक्ज़िम बैंक की पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस नीति के भी अनुरूप हैं। इसके अलावा, बैंक को जनवरी 2023 (1 बिलियन यूएस डॉलर) और मार्च 2024 (150 मिलियन यूएस डॉलर) के लिए 'डीएनवी' की ओर से निर्गम-पश्चात समीक्षा भी प्राप्त हुई है।

बैंक के संपोषी बॉन्डों का निर्गम-पश्चात मूल्यांकन

2023 संपोषी बॉन्डों से प्राप्त राशि से वित्तपोषित परियोजनाओं और आस्तियों के लिए मूल्यांकन मानदंड तीन पहलुओं पर आधारित रहा – कि क्या परियोजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा:

1. प्राप्त राशि के उपयोग और फ्रेमवर्क में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा किया गया है; और
2. फ्रेमवर्क में उल्लिखित परियोजना मूल्यांकन और चयन और प्राप्त राशि प्रबंधन संबंधी प्रतिबद्धताओं का अनुपालन किया गया है; और
3. फ्रेमवर्क में उल्लिखित प्राप्त राशियों की श्रेणी के आवंटन के संबंध में रिपोर्ट किया गया है।

निर्गम-पश्चात पत्र में उल्लिखित है कि 'सीमित आश्वासन पद्धतियों के आधार पर, डीएनवी को कुछ भी संशयात्मक नहीं मिला' जिससे ऐसा लगे कि फ्रेमवर्क में सभी प्रमुख मामलों में समीक्षित परियोजनाओं के मानदंड और रिपोर्टिंग प्रतिबद्धताएं प्राप्त राशियों के उपयोग के अनुरूप नहीं हैं। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यथा मार्च 2024 को जारी किए गए कुल 1,150 मिलियन यूएस डॉलर के संपोषी/हरित बॉन्डों में से 1,119.43 मिलियन यूएस डॉलर की प्राप्त राशि आवंटित कर दी गई थी और 30.57 मिलियन यूएस डॉलर की शेष प्राप्त राशि को बैंक के लिक्विडिटी संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार रखा जाएगा तथा इसे अल्पावधि जमा के रूप में या निवेश के लिए या गैर-हरित गतिविधियों से संबंधित ऋणों को छोड़कर, किसी भी तरह के अन्य ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

बैंक द्वारा संपोषी वित्तपोषण

भारतीय संदर्भ में संपोषी वित्तपोषण के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विभिन्न संस्थाओं के अनुमानों के अनुसार, भारत की कुल हरित वित्तपोषण आवश्यकताएं देश के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की लगभग 5% से 6% हो सकती हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित परिवर्तन (ग्रीन ट्रांज़िशन) के क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों का उल्लेखनीय योगदान होगा। वैश्विक बाजारों में अपनी स्पर्धात्मकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए इन व्यवसायों के लिए सस्टैनेबिलिटी को अपनाना केवल विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत है। ऐसे में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संपोषी विकास की दिशा में बढ़ते कदमों में वित्तीय क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा।

बैंक संपोषी कल के निर्माण में वित्त की उल्लेखनीय भूमिका को समझता है। विकास वित्त संस्था के रूप में बैंक भारतीय निर्यातकों के संपोषी प्रयासों को सहयोग प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में उन्हें उनके इन प्रयासों में योगदान देता है और इस तरह देश को अपनी अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करता है। बैंक ने अपने ग्राहकों को हरित ऊर्जा उपायों को अपनाने और संपोषी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में हरित और संपोषी वित्त प्रदान करते हुए इस दिशा में सक्रियता से काम किया है। बैंक किसी अर्थव्यवस्था के संपोषी अर्थव्यवस्था में बदलने के महत्त्व को समझता है, जो नवाचार और विकास के अवसर प्रदान करती है। इसलिए हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों तथा संपोषी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपने संपोषी वित्तपोषण में एक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बैंक ने 2023 में पात्र उधारकर्ताओं के हरित (ग्रीन), परिवर्तन (ट्रांज़िशन), सामाजिक और सस्टैनेबेलिटी

संपोषी वित्त कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ

से जुड़े निवेशों/व्ययों के वित्तपोषण के क्रम में एक नया ऋण कार्यक्रम, नामतः, संपोषी वित्तपोषण कार्यक्रम (एसएफपी) शुरू किया।

एसएफपी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, पात्र गतिविधियों के लिए 36 कंपनियों को 52.2 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की गई।

बैंक को एशिया और प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा पर्यावरणीय विकास श्रेणी के अंतर्गत संपोषी वित्त कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया।

हरित (ग्रीन) वित्तपोषण

हरित वित्तपोषण में पर्यावरण–उन्मुख प्रौद्योगिकियों, परियोजनाओं, उद्योगों या व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार का निधीयन (फंडिंग) शामिल है। भारत के हरित वर्गीकरण के अभी प्रगति पर होने के बावजूद सेबी और आरबीआई जैसे विनियामकों द्वारा हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक्ज़िम बैंक ने देश के वित्तीय विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं को हरित परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। यह हरित वित्त पहलों में नियमितता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। भारत सरकार के आधिकारिक हरित वर्गीकरण के प्रकाशित होने पर बैंक उसे अपनाने को तत्पर है।

स्वच्छ ऊर्जा

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में पवन और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं उल्लेखनीय रूप से कारगर हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सहयोग के जरिए बैंक इस दोहरे उद्देश्य को हासिल करने में अपना योगदान दे रहा है और एक ऐसे संपोषी कल के निर्माण में सहयोग दे रहा है जहां स्वच्छ ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और सुलभ हो।

बैंक ने गुजरात राज्य में 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तपोषण किया है। सौर ऊर्जा से राज्य द्वारा उपयोग के लिए खरीदी जा रही थर्मल विद्युत को कम करने में मदद मिलेगी।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

लघु जल विद्युत परियोजनाएं विशेष रूप से सीमित ग्रिड कनेक्टिविटी वाले दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ, नवीकरणीय और तुलनात्मक रूप से ऊर्जा का किफायती और महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। ये परियोजनाएं केवल विद्युत उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहयोग, बुनियादी ढांचे में सुधार और जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में भी मदद मिलती है। एक्ज़िम बैंक ने अपने पड़ोसी देशों में कई लघु जल विद्युत परियोजनाओं को व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गैर–निधिक ऋण प्रदान कर सहायता प्रदान की है।

सौर मॉड्यूल विनिर्माण

भारत सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। भारत सरकार उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और मॉडलों और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) जैसी नीतियों के माध्यम से घरेलू सौर मॉड्यूल विनिर्माण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। वैश्विक मांग का सदुपयोग करने के लिए भारतीय विनिर्माता अब सौर मॉड्यूल के निर्यात की दिशा में भी अग्रसर हैं। सौर मॉड्यूल विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। बैंक ने देश के एक प्रमुख सौर मॉड्यूल विनिर्माता को गैर–निधिक ऋण सहित उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का भी वित्तपोषण किया है।

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से तात्पर्य, पर्यावरण में प्रदूषक तत्त्वों के उत्सर्जन को कम या समाप्त करते हुए मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और इस दिशा में किए जाने वाले उपायों से हैं। ये उपाय पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। एक्ज़िम बैंक अपने विभिन्न उत्पादों के जरिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, अपशिष्ट

एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सहायता

को रिसाइकल करने या प्रदूषकों के शोधन के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां विकसित करने वाली कंपनियों को सहयोग प्रदान कर रहा है।

3डी प्रिंटिंग, निर्माण क्षेत्र में अधिक संपोषी विकल्पों की दिशा में एक आशाजनक मार्ग प्रस्तुत करती है। इससे सामग्री अपशिष्ट को कम करने, पर्यावरण-अनुकूल सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने और निर्माण प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है। यह संपोषी लक्ष्यों के अनुरूप है तथा निर्माण क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने में मददगार है। इसी क्रम में, बैंक ने निर्माण एवं अवसंरचना विकास के लिए कंक्रीट 3डी प्रिंटिंग समाधान के डिज़ाइन और उत्पादन से जुड़ी एक डीपटेक कंपनी को वित्तपोषित किया है। इस कंपनी ने घरों और शौचालयों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर 3डी प्रिंटर्स का डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण किया है तथा फ्लाई ऐश, ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग-आधारित मिश्रण जैसी 3डी प्रिंटिंग प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जो सुदृढ़ता, दीर्घकालिक एवं संपोषी पद्धतियों में सुधार लाती हैं।

एक सौर मॉड्यूल विनिर्माता को सहयोग

परिवर्तन वित्त (ट्रांजिशन फायनैंस)

कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र, फर्मों के लिए उनकी ऊर्जा लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ कंपनियों को उनके संपोषी लक्ष्यों को हासिल करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों और हितधारकों में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी कारगर है।

बैंक ने भारत सरकार की ग्रुप कैप्टिव योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे 63.2 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तपोषण प्रदान किया है। सौर ऊर्जा आधारित इस विद्युत का उपयोग देश की एक प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। इस सहायता से कंपनी को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को अपनाने में मदद होगी तथा यह शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो) लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगी।

बैंक द्वारा एक अग्रणी घरेलू टेक्सटाइल विनिर्माता कंपनी को 25 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए भी वित्तपोषण प्रदान किया गया है। इस परियोजना से इस कंपनी को 25 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलेगी। इससे कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता कम होगी और कोयले के उपयोग में भी कमी आएगी। साथ ही, चूंकि कंपनी वैश्विक स्तर पर निर्यात करती है, अतः यह परियोजना उसकी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े ईएसजी जोखिमों को कम करने में भी सहायक साबित होगी।

एक कंक्रीट 3डी प्रिंटिंग समाधान प्रदाता का वित्तपोषण

संपोषी जल और अपशिष्ट प्रबंधन

संपोषी जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस प्रकार दक्षता एवं जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना शामिल है, ताकि भविष्य में इनकी उपलब्धता में कमी न आए। पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम

किया जा सके और दीर्घावधि में संसाधन उपलब्ध रहें इसलिए इसके अंतर्गत जल संरक्षण, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और अपशिष्ट को कम करने जैसी रणनीतियों को अपनाना शामिल है। जल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता मानव स्वास्थ्य और कल्याण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन से पानी की उपलब्धता और मांग में बड़ी अनिश्चितता आती है। इससे जल सुरक्षा की चुनौती और बढ़ जाती है।

अपशिष्ट जल प्रबंधन

उद्योग और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर उपयोग किया जा सकता है। इसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संसाधित किया जा सकता है और यहां तक कि पीने और घरेलू कामकाज के लिए भी पुन: उपयोग में लाया जा सकता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन करने से दुर्लभ मीठे पानी के संसाधनों का उपयोग अन्य इस्तेमाल या जल संरक्षण के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से सस्टैनेबल विकल्प है।

नियर ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (एनजेडएलडी) संयंत्र पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के संवर्धन और विनियामकीय अनुपालन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इससे अपशिष्ट जल निकासी, जल की खपत को कम करने और

अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए वित्तपोषण

उद्योगों को सख्त पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करने में मदद मिलती है। अपशिष्ट जल शोधन के जरिए एनजेडएलडी चक्रीय (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और मीठे पानी पर निर्भरता कम होती है। इस खंड में बैंक ने निर्यात गारंटी के माध्यम से उज्बेकिस्तान में एक नियर ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र की स्थापना के लिए सहयोग प्रदान किया है।

गंगा नदी। दुनिया में सबसे अधिक पवित्र नदियों में से एक। गंगा अधिक मात्रा में मानवीय उपयोगों के लिए पानी लेने और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। गंगा भारत की न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि जीवन निर्वहन का एक मुख्य स्रोत भी है। इसलिए इस नदी के पानी का स्वच्छ होना अत्यधिक आवश्यक है। इन चुनौतियों के समाधान के रूप में 'नमामि गंगे' कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना तथा इसका संवर्धन करना एवं इसे पूर्ण रूप से स्वच्छ करना है। इस दिशा में बैंक ने नदी किनारे अपशिष्ट जल शोधन संयत्र (एसटीपी) सुविधाएं स्थापित की जा सकें

गंगा नदी के किनारे एसटीपी सुविधाओं के निष्पादन के लिए सहयोग

कृषि अवशिष्ट से ऑर्गेनिक पोषक तत्त्वों और प्राकृतिक फाइबर विनिर्माण के लिए एक ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए सहायता

और नगरपालिका अपशिष्ट जल को शोधन के बाद ही गंगा नदी में प्रवाहित किया जा सके, इसलिए एक प्रमुख अपशिष्ट जल शोधन समाधान प्रदाता कंपनी को गारंटी के माध्यम से सहायता प्रदान की।

जैविक प्राकृतिक संसाधनों एवं भूमि उपयोग का संपोषी प्रबंधन

जैविक प्राकृतिक संसाधनों एवं भूमि उपयोग का संपोषी प्रबंधन अर्थात वनों, जल, मृदा तथा जैव विविधता जैसे संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग एवं संरक्षण के साथ-साथ कृषि, वानिकी एवं अन्य प्रयोजनों हेतु भूमि का प्रबंधन ही संपोषी प्रबंधन है। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए इन संसाधनों का इस तरह उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे भावी पीढ़ियां भी इनसे लाभान्वित हो सकें। इसमें प्राकृतिक संसाधनों और पद्धतियों के जरिए की जाने वाली जैविक कृषि एवं पशुपालन भी शामिल है। यह एक बहुमुखी दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीवों (जीएमओ) के उपयोग से बचते हुए एक सुदृढ़ एवं संपोषी कृषि प्रणाली स्थापित करना है।

बैंक जैविक प्राकृतिक संसाधनों के संपोषी प्रबंधन में सहयोग कर रहा है। एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी को दी गई सहायता इसी तरह का एक उदाहरण है। यह सहायता महाराष्ट्र के भुसावल में एक ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए दी गई है। इस परियोजना के जरिए केले के तने और अन्य कृषि अपशिष्टों से जैविक लिक्विड पोषक तत्त्व, केला फाइबर और अन्य प्राकृतिक फाइबर का विनिर्माण किया जाएगा। इन उत्पादों में कई केला उत्पादक राज्यों में एक सुदृढ़ ग्रामीण कृषि-अर्थव्यवस्था तंत्र विकसित करने और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार अवसर/आय अवसर सृजित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। जैविक लिक्विड पोषक तत्त्व (ऑर्गेनिक लिक्विड न्यूट्रिएंट) एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जो आयातित रासायनिक उर्वरकों के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। घरेलू एवं निर्यात बाजारों में प्राकृतिक फाइबर की बढ़ती मांग के चलते केले के फाइबर की मांग में भी वृद्धि की संभावनाएं हैं। इसके अलावा, जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों एवं पहलों का जैव उर्वरक उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्वच्छ परिवहन

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 16% से अधिक उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से होता है। इसलिए देशों को अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ परिवहन एक महत्त्वपूर्ण कारक होगा। स्वच्छ परिवहन से तात्पर्य, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाले और वायु प्रदूषण करने वाले पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम या शून्य उत्सर्जन वाले परिवहन के साधनों से है।

बैंक ने इलेक्ट्रिक साइकिल (ई-बाइक) का विनिर्माण करने वाली कंपनी को सहायता प्रदान की। ई-बाइक ऐसा महत्त्वपूर्ण साधन है, जो यातायात के अन्य साधनों की जगह ले सकता है और इनके इस्तेमाल से शहरों को अधिक रहने योग्य बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ यातायात को कम करने में भी मदद मिल सकती है। पूर्व में, यह कंपनी अपने निर्यात बाजारों की जरूरतों की पूर्ति के लिए एक पड़ोसी देश में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर विनिर्माण कर रही थी। इस कंपनी ने गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से बैटरी, मोटर, डिस्प्ले और चार्जर जैसे प्रमुख घटकों के आंतरिक उत्पादन के लिए अपनी गीगाफैक्टरी स्थापित की है। सही समय पर बैंक की सहायता से इस कंपनी को स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ संयोजित करने तथा अधिक हरित एवं संपोषी शहरीकरण की दिशा में अग्रसर होने में मदद मिलेगी।

समावेशी वृद्धि और सामाजिक–आर्थिक विकास

समावेशी वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता

भारत सरकार ने 2030 तक 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का योगदान 1-1 ट्रिलियन यूएस डॉलर रहेगा। उम्मीद है कि इसमें लगभग 60% योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का होगा। यह भारत की निर्यात वृद्धि में इन उद्यमों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। इसलिए निर्यात अवसरों को प्रभावी तरीके से भुनाने के क्रम में इन उद्यमों के लिए यह महत्त्वपूर्ण होगा कि उनके पास जरूरी संसाधन हों और उन अवसरों की उन्हें जानकारी हो।

हाल के वर्षों में, एक्ज़िम बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय अंतर को कम करने के क्रम में कई नई पहलें की हैं। इन पहलों से इन उद्यमों में निर्यात क्षमताएं विकसित करने, व्यापार वित्त अंतर को कम करने और एमएसएमई को सोचे समझे निर्यात निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी पहुंचाने में मदद मिली है।

नवोद्यम (स्टार्टअप) और एमएसएमई भारत में नवाचार और उद्यमिता के आधार के रूप में उभर रहे हैं। इन व्यवसायों में नई तकनीकों को आगे बढ़ाने, नए व्यवसाय मॉडल को लागू करने और नवीन उत्पाद और सेवाएं विकसित करने की क्षमता है। इन व्यवसायों को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2020 में 'उभरते सितारे कार्यक्रम' (यूएसपी) की घोषणा की थी। एक्ज़िम बैंक द्वारा संचालित यह कार्यक्रम ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान कर रहा है, जो उत्पाद, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अलग हैं और जिनमें निर्यात चैंपियन के रूप में उभरने की क्षमता है।

इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि जोखिमों या बाजार अक्षमताओं के कारण वित्तपोषण की कमी से कोई निर्यात अवसर न छूट जाए। कोविड-19 महामारी के बाद बढ़ते व्यापार वित्त अंतर को दूर करने के लिए बैंक ने 2022 में व्यापार सहायता कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता व्यापार लिखतों (ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स) की ऋण सीमा बढ़ाने के रूप में होती है और इस प्रकार बैंक वाणिज्यिक बैंकों की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा, बैंक ने फैक्टरिंग पर फोकस करते हुए निर्यातकों को विभिन्न व्यापार वित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी, एक्ज़िम फिनसर्व की भी स्थापना की है। एक्ज़िम फिनसर्व की शुरूआत के साथ, एक्ज़िम बैंक अब ओपन अकाउंट ट्रेड के साथ-साथ बैंक-मध्यवर्ती व्यापार वित्त के साथ विभिन्न व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान कर रहा है। इस विस्तारित लक्ष्य के साथ, एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से लगातार प्रतिस्पर्धी हो रहे और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिवेश का साम ना करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है।

वित्तपोषण अंतर को कम करने के अलावा, बैंक 'ट्रेड कनेक्ट' प्लैटफॉर्म के साथ मिलकर निर्यात इकोसिस्टम में जानकारी की कमी को भी दूर कर रहा है। ट्रेड कनेक्ट निर्यात बाजार में कदम रखने की इच्छुक भारतीय कंपनियों को व्यापार से संबंधित जानकारी, हैंडहोल्डिंग और सहायता सेवाओं जैसी विभिन्न सुविधाओं के लिए एक प्रभावी संसाधन है।

पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक का सहयोग लगातार बढ़ा है। बैंक ने 2024-25 के दौरान अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए 600 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग किया है। इस सहयोग से इन उद्यमों के विकास को गति देने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के संदर्भ में बहुआयामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यूएसपी और टैप जैसे कार्यक्रमों के तहत इन उद्यमों को आरंभिक सहायता उन्हें अपने परिचालनों को बढ़ाने और खुद को विश्वसनीय निर्यातकों के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है। धीरे-धीरे, एमएसएमई का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड उनकी साख को बढ़ाता है, जिससे इन व्यवसायों में वित्तीय क्षेत्र से ऋण सुलभ हो जाता है। बैंक की सहायता से व्यवसाय में होने वाली वृद्धि के चलते इन उद्यमों की साख में सुधार होता और इस प्रकार बैंक के कार्यक्रमों का प्रभाव भी परिलक्षित होता है।

ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों को सशक्त बनाना

भारत के निर्यातों में वृद्धि के लिए बैंक की सहायता बड़ी कंपनियों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से लेकर देश के दूरस्थ भागों में ग्रासरूट उद्यमों तक प्रदान की जाती है। भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को देश के लाखों कुशल दस्तकारों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। पारंपरिक उद्योगों में लगे ये दस्तकार भारत की गैर-कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे सांस्कृतिक विरासत को हर धागे और ब्रशस्ट्रोक में सावधानीपूर्वक बुनते हुए सदियों पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे हैं। सदियों

उज्जैन में बाटिक प्रिंट उद्योग को सहायता

पुराने ये शिल्प प्राकृतिक रंगों, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पर्यावरण के अनुकूल सामग्री आदि के उपयोग के मूल सिद्धांत पर आधारित हैं, जिनकी आज के वैश्विक बाजार में एक अलग पहचान है। वैश्विक बाजारों, वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे पर एक्सपोज़र के जरिए अनुकूल प्रोत्साहन से दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों में भारत के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने की क्षमता है।

बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित ग्रामीण इलाकों से बाहर स्थित उद्यमों और मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के उत्पादन में लगे ग्रासरूट संगठनों/ दस्तकारों को सहायता प्रदान करता है। ग्रिड कार्यक्रम पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए अधिक से अधिक अवसर सृजित कर समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहा है।

इन उद्यमों की अनूठी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों को बहुस्तरीय सहायता प्रदान की है। इसमें वित्तीय सहायता, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहयोग, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास तथा क्लस्टरों में कॉमन सुविधाएं विकसित करना शामिल है। इस कार्यक्रम के जरिए बैंक निर्यात की संभावना वाली ग्रासरूट पहलों और नवाचारों को विशेष रूप से बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार, पारंपरिक भारतीय शिल्प के संरक्षण और पुनरुद्धार में भी सहयोग कर रहा है। ग्रासरूट उद्यमों के इस सहयोग से रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने, जीवन स्तर में सुधार लाने और महिलाओं के सशक्तीकरण में मदद मिल रही है।

कॉमन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए सहयोग

ग्रासरूट उद्यमों को अक्सर महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए वित्तीय संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनकी स्पर्धात्मकता और विकास में बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए बैंक उपकरणों की खरीद, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास और कच्चे माल की खरीद आदि के लिए सॉफ्ट लोन और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन पहलों से कई ग्रासरूट उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रभावी रूप में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली है। हाल ही में, बैंक भारत सरकार की 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (डीईएच) पहल के अनुरूप जिला स्तर की पहलों को सहयोग कर रहा है। इसके अंतर्गत, बैंक द्वारा अब तक 16 राज्यों के 22 जिलों में 22 पहलों के लिए सहयोग प्रदान किया गया है। इस पहल के तहत बैंक जिला स्तर पर निर्यात क्षमता सृजन को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों की खरीद, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास आदि में सहयोग कर रहा है।

वर्ष के दौरान बैंक ने चन्नापटना खिलौना क्लस्टर को आधुनिक उपकरणों और मशीनों के लिए सहायता प्रदान की। पारंपरिक शिल्प और संपोषी पद्धतियों के अनूठे मिश्रण से चन्नापटना खिलौनों को धीरे-धीरे व्यापक पहचान मिल रही है। इस क्षेत्र के कई दस्तकार अभी भी पुराने और श्रम साध्य तरीकों से खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे इन खिलौनों में नवाचार की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। बैंक द्वारा कॉमन सुविधा केंद्र पर उपकरण और मशीनरी के लिए प्रदान की गई सहायता से दस्तकारों को अधिक सटीकता और एकरूपता बनाए रखने, अपव्यय को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह सहायता इन दस्तकारों की बाजार पहुंच और स्पर्धात्मकता में वृद्धि करने में मददगार साबित होगी। बैंक ने दस्तकारों के लिए उत्पाद डिजाइन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए, ताकि उन्हें अभिनव उत्पाद बनाने और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद मिल सके।

वर्ष के दौरान, बैंक ने उज्जैन स्थित स्वास्तिक महिला उद्योग सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन को कौशल विकास, हैंडहोल्डिंग सहायता और कॉमन सुविधा केंद्र के लिए उपकरणों और मशीनों की खरीद के लिए सहयोग किया। बाटिक प्रिंट को उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक महत्ता और शिल्पकला के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। इस बाटिक प्रिंटिंग तकनीक में ऐसे डाई और वैक्स का उपयोग किया जाता है, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम होता है। तथापि, इस उद्योग को बाजार पहुंच, पुराने डिज़ाइन और कौशल अभाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बैंक के सहयोग से उत्पादों और डिज़ाइनों के आधुनिकीकरण में मदद मिल रही है, जिससे बाटिक प्रिंट की गुणवत्ता बढ़ रही है तथा यह और आकर्षक बन रही है। उन्नत

उपकरणों और सिलाई मशीनों से कारीगर अब अच्छे डिज़ाइन बना पा रहे हैं। साथ ही, अपव्यय कम हो रहा है और स्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके अलावा, बैंक दो-आयामी कौशल विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। एक, उत्पाद डिज़ाइन, विकास और गुणवत्ता नियंत्रण पर केंद्रित; और दूसरा, उपकरणों और मशीनों के उपयोग पर तकनीकी प्रशिक्षण पर आधारित।

बैंक ने कोल्हापुर में कास्टिंग एवं मशीन गियर उद्योग को एक कॉमन सुविधा केंद्र के लिए प्रिसिशन 3D स्कैनिंग सॉल्यूशन और कास्टिंग सिम्यूलेशन तकनीक की खरीद के लिए सहायता प्रदान की है। कोल्हापुर भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाउंड्री और कास्टिंग क्लस्टर है। यह अपनी उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादन क्षमता और प्रिसिशन इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के कई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उन्नत तकनीक और बुनियादी ढांचा न होने के चलते अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी स्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए अपेक्षित स्तर, दक्षता और गुणवत्ता हासिल नहीं कर पाते। बैंक द्वारा 3D स्कैनर और सिम्यूलेशन तकनीक के लिए दिए गए सहयोग से इन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को काफी मदद मिल रही है। इन तकनीकों का उपयोग ये जटिल माप, निरीक्षण गतिविधियों और मोल्ड डिज़ाइन, गेटिंग प्रणाली तथा मटीरियल फ्लो के अनुकूलन के लिए किया जा रहा है। इस सहयोग से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, उसके विकास में लगने वाले समय को कम करने और कार्यप्रवाह को सरल बनाने में मदद मिली है।

बैंक ने खुबानी उत्पादों के लिए लद्दाख के पहले किसान उत्पादक संगठन को भी सहायता प्रदान की है। इस सहायता में सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज सुविधा, परिवहन वाहन, कटाई उपकरणों की खरीद और किसानों के लिए खेती प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। भारत में लद्दाख खुबानी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बावजूद, असंगठित बाजार, मांग-आपूर्ति में अस्थिरता, कटाई के बाद के प्रबंधन एवं तकनीक में कमी, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और मूल्यवर्धित उत्पादों के प्रति जागरूकता की कमी के चलते इस जिले के फल बड़ी तादाद में खराब हो जाते हैं। एक्ज़िम बैंक के इस सहयोग से इन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कटाई प्रक्रिया को आसान बनाने, कटाई होने के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, सही समय पर वितरण सुनिश्चित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इस सहायता से इस क्षेत्र के 1000 से अधिक कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।

प्रशिक्षण और कौशल विकास

बैंक ग्रासरूट उद्यमों को वित्तीय सहायता के अलावा, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उनके क्षमता विकास और मार्केटिंग प्रयासों में भी सहायता करता रहा है। भारत में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों में से एक यह है कि युवा पीढ़ी अब पारंपरिक शिल्प सीखने को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पा रही है। पारंपरिक शिल्प के प्रति अरुचि स्थानीय बाजारों से सीमित पारिश्रमिक की संभावना, क्लस्टर स्तर पर सीमित बुनियादी ढांचे और मांग के ट्रेंड की समझ की कमी से आई है। पारंपरिक बुनाई में युवा पीढ़ियों के बीच घटती रुचि को देखते हुए, बैंक की ग्रासरूट पहलों के जरिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं के जरिए भी इस महत्त्वपूर्ण समूह पर फोकस किया गया है।

बैंक ने ग्रिड कार्यक्रम के तहत दस्तकारों, किसानों और बुनकरों को 52,000 से अधिक व्यक्ति-घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। ये प्रशिक्षण उत्पाद और डिजाइन विकास, कौशल विकास और मार्केटिंग पर केंद्रित रहे हैं। इससे उन्हें वैश्विक बाजारों में विश्वास और विशेषज्ञता के साथ अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिली है। प्रशिक्षण कार्यशालाओं के दौरान डिजाइन किए गए अभिनव प्रोटोटाइप/उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापक मांग और स्वीकृति है। मास्टर शिल्पकारों और अर्ध-कुशल और कुशल दस्तकारों को प्रशिक्षण से बाजार की मांग और गुणवत्ता के महत्त्व के बारे में उनकी समझ बढ़ती है। बाजार में बेचने योग्य उत्पादों के नए डिजाइन और विकास से उनकी आय में भी वृद्धि होती है। उल्लेखनीय है कि दस्तकारों की निरंतर आय सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विकास कार्यशालाओं की अवधि के दौरान उन्हें पारिश्रमिक के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है। ताकि उन्हें इस दौरान होने वाले पारिश्रमिक के नुकसान की भरपाई की जा सके।

पूर्वोत्तर में सामाजिक-आर्थिक विकास को सहयोग

बैंक का फोकस पूर्वोत्तर भारत पर रहा है। देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने नैसर्गिक सौंदर्य, संस्कृति और विभिन्न समुदायों में सस्टैनेबल जीवनशैली के लिए जाना जाता है। किन्तु, भौगोलिक कठिनाइयों, पर्वतीय

चन्नापटना खिलौना उद्योग को सहायता

भू-भाग, उद्योगों की कमी और कनेक्टिविटी से जुड़ी चुनौतियों के चलते यह क्षेत्र भारत की विकास यात्रा के जटिल पहलुओं में से एक रहा है। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में यह क्षेत्र विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे है और प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में भी पीछे है। इस क्षेत्र में सीमित औद्योगीकरण और औद्योगिक क्लस्टरों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से निर्यात बढ़ाने की अच्छी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, एक्ज़िम बैंक अपने ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के ग्रासरूट उद्यमों को सहायता प्रदान करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एक्ज़िम बैंक ने त्रिपुरा में अगरवुड उत्पादकों/व्यापारियों, त्रिपुरा में बांस और बेंत शिल्प के दस्तकारों और सिक्कम में बड़ी इलायची की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता को मंजूरी दी। इसके अलावा, मेघालय में लाकाडोंग हल्दी की खेती करने वाले किसानों को भी सहायता प्रदान की है।

महिलाओं का सशक्तीकरण

भारत के दस्तकार समुदाय में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी है और यही इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। भारत के शिल्प समुदाय में आधे से अधिक महिलाएं ही हैं। यह श्रम बाजार में महिलाओं की समग्र भागीदारी से अधिक है। बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ग्रासरूट स्तर के कई उद्योग ग्रामीण भारत की महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में 40 महिला मास्टर दस्तकारों के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी तरह का एक उदाहरण है। इसके अलावा, बैंक द्वारा बरेली के ज़री-ज़रदोज़ी दस्तकारों के लिए 20 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए और छत्तीसगढ़ के रायपुर की 250 महिला किसानों को दिया गया सहयोग इसका एक और उदाहरण है।

मार्केटिंग सहायता

बैंक ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए व्यापक दृश्यता और उनके ब्रांड के प्रचार-प्रसार में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्ज़िम बैंक वर्ष 2017 से अपनी 'एक्ज़िम बाजार' पहल के जरिए दस्तकारों और शिल्पकारों को एक छत के नीचे लाते हुए मार्केटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान कर रहा है। एक्ज़िम बाजार को गत कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता मिली है तथा क्रेता और विक्रेता दोनों ने इसे काफी पसंद किया है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों को व्यापक स्तर पर बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव के सह-प्रयोजक के रूप में सहयोग दिया था।

इस प्रदर्शनी में पारंपरिक एवं समकालीन कलाओं, शिल्पों और टेक्स्टाइल्स का प्रदर्शन किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों से 200 से अधिक दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों ने इस महोत्सव में भाग लिया था। इनमें 24 राज्यों के 64 दस्तकारों को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान बैंक ने पांच कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें कौना बास्केट, टेरेकोटा पेंटिंग, बाटिक प्रिंट कला, कशीदाकारी और क्रोशिया शामिल हैं। इन कार्यशालाओं से कलाकृतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली और अंततः इन उत्पादों के मांग में वृद्धि हुई।

केजीएएफ 2024-25 में सहभागिता करने से दस्तकारों को उपभोक्ताओं की पसंद और व्यवहार को समझने, नए संपर्क बनाने, नए खरीदारों तक पहुंच बनाने, उद्योग ज्ञान बढ़ाने और नए ट्रेंड का पता लगाने में सहायता मिली। कुछ दस्तकारों को अपने उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से व्यावसायिक ऑर्डर भी मिले।

आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

बैंक ने राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम) में अकादमिक उत्कृष्टता को सहयोग करने के अलावा, विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के छात्रों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत के चुनिंदा नामतः (i) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली; (ii) कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालय, ओडिशा; (iii) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलॉजी (एनईआरईएसटी),

बिहार में 100 छात्राओं को 'एडु-लीडर' के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग

अरुणाचल प्रदेश; (iv) दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स (डीएसई), नई दिल्ली; (v) राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएम), राजस्थान; (vi) मणिपुर विश्वविद्यालय (एमयू); (vii) मिज़ोरम विश्वविद्यालय (एमज़ेडयू); (viii) सिक्कम (मणिपाल) विश्वविद्यालय (एसएमयू), सिक्किम; (ix) तेज़पुर विश्वविद्यालय (टीयू) असम; (x) नागालैंड विश्वविद्यालय (एनयू); (xi) त्रिपुरा विश्वविद्यालय (टीआरयू); (xii) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), मेघालय; (xiii) सिक्कम विश्वविद्यालय (एसयू); और (xiv) डॉ. बी. आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स (बीएएसई) विश्वविद्यालय, बेंगलूरु; जैसे शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्तियों की शुरूआत की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक द्वारा 15 महाविद्यालयों/ संस्थानों से 58 पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों के जरिए कुल 19.5 लाख रुपये का सहयोग प्रदान किया गया। इनमें से अधिकांश छात्र आरक्षित श्रेणी से रहे। इसमें एनआईबीएम में दिए जाने वाले स्वर्ण पदक को प्रायोजित करना भी शामिल है।

समुदाय और सामाजिक कल्याण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में समुदायों, समाज और पर्यावरण में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सीएसआर भागीदारों के साथ बातचीत की एक विस्तृत शृंखला शामिल है। बैंक की सीएसआर पहलों के लिए प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, शिक्षा एवं खेल, कौशल विकास और आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना तथा पर्यावरणीय सस्टैनेबिलिटी है। बैंक का लक्ष्य इस क्षेत्र में अपनी मौजूदा प्रतिबद्धता को बढ़ाना, हितधारकों के साथ संबंध को सुदृढ़ करना, जहां आवश्यकता हो वहां पर्याप्त मात्रा में संसाधन आवंटित करना और अपने सीएसआर कार्य की भौगोलिक पहुंच को विस्तारित करना है।

मुंबई में 30 महिलाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टैंट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अपने सीएसआर के अंतर्गत विकासात्मक और सामाजिक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹ 3.45 करोड़ की सहायता प्रदान की है। बैंक की सीएसआर पहलों का उद्देश्य हाशिए पर रहे वंचित समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बैंक की सीएसआर पहलें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संपोषी विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं ताकि वंचित और हाशिए के समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

स्वास्थ्य एवं पोषण

समुदायों में बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के क्रम में बैंक ने किशोर बालिकाओं को विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को सहायता प्रदान की। बैंक ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली 200 बालिकाओं को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की। इस पहल से स्कूलों में उपस्थिति दर बढ़ेगी। यह जानते हुए कि विद्यालय में अच्छा भोजन मिलेगा, बालिकाएं घरेलू जिम्मेदारियों या अन्य कार्यों के कारण अनुपस्थित नहीं रहेंगी। इससे माता-पिता को बालिकाओं के भोजन की चिंता भी कम हो जाएगी और बेटियों की शिक्षा के लिए उनका उत्साह बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं के शारीरिक-मानसिक विकास में योगदान दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम दर्शाता है कि बैंक की यह सीएसआर पहल इन वंचित बालिकाओं की पोषण जरूरतों को पूरा करते हुए इन वंचित बालिकाओं के लिए शैक्षणिक और सामाजिक सुधार का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

एनीमिया कोई एकल बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई अंतर्निहित कारणों का लक्षण हो सकता है। हरियाणा के नूंह जिले में एनीमिया महिलाओं में होने वाली एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। इसकी त्वरित जांच से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि एनीमिया किस कारण से हो रहा है (जैसे आयरन की कमी, विटामिन बी12 की कमी या कोई लंबी बीमारी), और उपचार के लिए लक्षित रणनीति अपनाई जा सकती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बैंक ने बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान को सहायता प्रदान की है। यह संस्था त्वरित निदान और उसके बाद की सेवाओं के माध्यम से एनीमिया के उन्मूलन की दिशा में

कार्य कर रही है। एनीमिया के मूल कारणों को लक्षित कर निरंतर सहायता प्रदान करने से न केवल निदान बेहतर हो सकता है, बल्कि इससे प्रभावित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

कौशल विकास और आजीविका

बैंक ने समुदाय के बीच कौशल विकास बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नवसृष्टि इंटरनैशनल ट्रस्ट को मुंबई, महाराष्ट्र में 30 महिलाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टैंट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान की। बैंक इस पहल के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सहयोग देता है। इसमें विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, जो या तो आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकीं या जिन्होंने न्यूनतम शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, लेकिन उन्हें रोजगार पाने योग्य आवश्यक कौशल नहीं हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को प्लेसमेंट सेल के जरिए रोजगार सहायता भी प्रदान की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों की युवा महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से बैंक ने आई-सक्षम के साथ मिलकर काम किया है। आई-सक्षम ने बिहार में फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में अंतर्गत बालिकाओं को लीडर के रूप में जरूरी कौशल, ज्ञान और सहयोग प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम न केवल उनके भविष्य को आकार देता है बल्कि उन्हें अपने समुदाय में दूसरों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है। इस पहल के अंतर्गत बैंक ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 100 लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

इसके अलावा, बैंक ने बम्बलबी ट्रस्ट के साथ मिलकर कल्वी40 परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग किया। कल्वी40 का उद्देश्य गैर-लाभकारी गतिविधियों के जरिए वंचित समुदायों के सरकारी विद्यालयों के छात्रों का उत्थान करना है। इस पहल के जरिए तमिलनाडु के कड्डलोर जिले के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के स्कूली बच्चों को सहयोग किया गया है। बम्बलबी ट्रस्ट की इस पहल से 50 स्कूलों के लगभग 1271 छात्र और 1291 छात्राएं लाभान्वित होंगी। कार्यान्वयन के तीन वर्ष बाद तमिलनाडु के कुड्डालोर के 50 विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में औसतन 35 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। इस सहयोग से छात्रों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने तथा गणना में सुधार और प्राथमिक साक्षरता की समझ बढ़ाना अपेक्षित है।

चेन्नै और हैदराबाद के ग्रामीण इलाकों में समयपूर्व जन्मे शिशुओं में अंधत्व की जांच के लिए रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जांच हेतु सहायता

बैंक ने टीएमआई फाउंडेशन के साथ मिलकर भी सहयोग किया है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नंदुरबार और परभणी जिलों में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पहल के माध्यम से बैंक लक्ष्य इन दोनों जिलों में लाभार्थियों की संख्या को 200 (प्रत्येक जिले में 100) का तक पहुंचाना है। इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वंचित युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है।

शिक्षा

प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन वीर सशस्त्र बलों के असाधारण योगदान की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। यह अवसर बैंक को सशस्त्र बलों और उनके आश्रितों के प्रति एकता व्यक्त करने तथा सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में उदारतापूर्वक योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। पुनर्वास प्रयासों के अंतर्गत, बैंक ने सैन्यकर्मियों के 420 बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

स्वास्थ्य सेवा

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सीमित बुनियादी ढांचा, भौगोलिक असमानताएं और वित्तीय बाधाएं जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। महाराष्ट्र के परभणी जिले की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, इस जिले की कुल आबादी 18 लाख से अधिक है। मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त क्षेत्र में स्थित परभणी, राज्य के सबसे गरीब जिलों में से एक है। इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 215 उप-केंद्र हैं, जो समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में संघर्ष कर रहे हैं। बैंक ने इन गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए दी प्राइड इंडिया संस्था के साथ मिलकर परभणी के गंगाखेड़ और पालम ब्लॉक के 40 गांवों में मोबाइल मेडिकल

यूनिट की तैनाती की, जिससे वंचित ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके।

देश में कैंसर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, कैंसर के वास्तविक आंकड़े दर्ज आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक हो सकते हैं। अनुमानों के अनुसार, आने वाले पांच से छह वर्षों में भारत में कैंसर के 45 लाख नए मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए इसकी रोकथाम, प्रारंभिक जांच एवं उपचार के लिए तत्काल सुविधाएं देने पर बल देने की आवश्यकता है। इस चुनौती के समाधान के लिए बैंक ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर उपकरण के लिए सहायता प्रदान की है, जिससे कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग में मदद मिलेगी। इससे कैंसर स्क्रीनिंग एवं उपचार सुगम होगा तथा प्रतिदिन स्क्रीनिंग की संख्या को 220 से बढ़ाकर 450 तक ले जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बैंक ने कोलकाता स्थित फील ग्रीन संस्था के साथ मिलकर महिलाओं में स्तन एवं ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग हेतु अल्ट्रासोनिकेटर कैंसर-एनजीएस कंपैटिबल फ्रैगमेंट एनालिसिस उपकरण की खरीद के लिए सहायता प्रदान की।

निवारण एवं उपचार योग्य नेत्रहीनता, विशेष रूप से मोतियाबिंद और शिशु नेत्र रोगों के उपचार के लिए बैंक ने गुरुप्रिया विजन रिसर्च फाउंडेशन को सहायता प्रदान की। यह एक चैरिटेबल नेत्र चिकित्सालय का परिचालन करता है। इस सहायता से, बैंक ने त्रिनेत्र नीओ उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जो समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (आरओपी) स्क्रीनिंग के जरिए नेत्रहीनता का पता लगाने में सहायक है। इस उपकरण से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अतिसंवेदनशील परिवारों के समय से पूर्व जन्मे शिशुओं में आरओपी स्क्रीनिंग की पहुंच को सुगम बनाने तथा स्क्रीनिंग की क्षमता को वर्तमान के 70 शिशुओं से बढ़ाकर 100 शिशु प्रतिदिन करने में मदद मिलेगी।

बैंक ने इसी प्रकार हैदराबाद नेत्र संस्थान के साथ मिलकर ओडिशा के पांच जिलों में समय से पूर्व शिशुओं में नेत्रहीनता का पता लगाने हेतु आरओपी स्क्रीनिंग के लिए समान उपकरण (त्रिनेत्र नीओ) की खरीद हेतु भी सहयोग प्रदान किया है।

पर्यावरणीय पहल

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक संकट के रूप में उभरकर सामने आया है। इसकी गंभीरता के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ रही है। इस समस्या से पारिस्थितिक तंत्र, कृषि और विशेष रूप से छोटे कृषकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। कृषि, शहरीकरण और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण पर्यावास विनाश हो रहा है और कार्बन अवशोषण क्षमता में कमी आ रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करने की दिशा में पौधारोपण को एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। पौधारोपण, विशेष रूप से मौसमी कृषि पर निर्भर किसानों के लिए आय के स्रोतों में विविधता लाने में उल्लेखनीय भूमि का निभाता है। कृषि वानिकी (एग्रोफॉरेस्ट्री)

वाराणसी, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 200 छात्राओं को मध्याह्न भोजन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को सहयोग

बैंक ने "भारतीय ज्ञान परंपराः पर्यावरण और संपोषी विकास" विषय पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई के तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन किया

में वृक्षों को कृषि प्रणाली में एकीकृत किया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता सुदृढ़ होती है। पौधारोपण को बढ़ावा देने और संपोषी पौधारोपण मॉडल के जरिए ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने एवं जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने के लिए बैंक ने संकल्पतरु फाउंडेशन के साथ मिलकर बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 पेड़ लगाए हैं।

कर्मचारी सहभागिता

सीएसआर गतिविधियों के अलावा, बैंक द्वारा सामुदायिक और सामाजिक कल्याण वाली गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इनमें स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और समुदायों के लिए भोजन पकाने जैसी गतिविधियां शामिल रही हैं। जनवरी 2025 में आयोजित मुंबई मैराथन में भाग लेना कर्मचारी सहभागिता का ऐसा ही एक और उदाहरण है। स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में बैंक ने विश्व महासागर दिवस के अवसर पर समुद्र तट की सफाई में हिस्सा लिया और संकल्पतरु फाउंडेशन के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान भी चलाया। इसके अलावा, बैंक ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ सहभागिता की, जिसमें बैंक के अधिकारियों को उस फाउंडेशन की रसोई में भोजन बनाने और भोजन वितरित करने का अविस्मरणीय अनुभव मिला।

संपोषी विकास संबंधी सेमिनार

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राजभाषा पहलों के क्रम में, बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई के तत्वावधान में 'भारतीय ज्ञान परंपराः पर्यावरण और संपोषी विकास' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण से लेकर भारतीय परंपराओं में निहित संपोषी जीवनशैली, समुदायों के साम ने आने वाली विभिन्न चुनौतियों, स्थानीय महिलाओं को मूल्य शृंखला में शामिल करने के लिए स्थानीय कौशल विकास और संपोषी विकास में भारतीय भाषाओं की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। इस सेमिनार में संपोषी विकास में भारतीय भाषाओं की भूमिकाओं पर विशेष रूप से बात की गई।

इस सेमिनार में पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता तथा पद्मश्री से सम्मानित श्री चैत्राम पवार ने स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग के लिए समुदायों की हिस्सेदारी के महत्त्व से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने महाराष्ट्र के धुले जिले में स्थित अपने गांव बारीपाड़ा में हुए काम को रेखांकित करते हुए बताया कि उनके गांव में 17 में से 16 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल किए जा चुके हैं।

विविधता और कर्मचारी कल्याण

विविधता और कर्मचारी कल्याण

मानव पूंजी

मानव पूंजी बैंक की सबसे महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान आस्ति है। समान आस्ति आधार वाली अन्य संस्थाओं की तुलना में, बैंक कम कर्मचारियों वाली छोटी संस्था है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या 443 रही। बैंक में विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्रोफेशनल शामिल हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ, बैंकर, प्रबंधन स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, इंजिनीयर्स, पुस्तकालय व दस्तावेजीकरण विशेषज्ञ, और आईटी विशेषज्ञ शामिल हैं।

कर्मचारियों की संख्या (यथा 31 मार्च, 2025 को)

स्थायी कर्मचारी	स्थायी कर्मचारियों से इतर कर्मचारी	कुल कर्मचारी
203	40	243
150	50	200
कुल 353	कुल 90	कुल 443

नोट: बैंक में ऐसे श्रमिक नहीं हैं जो कर्मचारी न हों।

विविधता और समावेशन

बैंक में महिला कर्मचारी

एक संस्था के रूप में, बैंक समान अवसर प्रदान करता है। बैंक सुनिश्चित करता है कि संस्था में कोई लैंगिक भेदभाव न हो। बैंक की कॉर्पोरेट संस्कृति एक अनुकूल परिवेश प्रदान करती है, जिसमें महिला कर्मचारियों से सम्मान, समानता के साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें विकास व सफलता के लिए प्रोत्साहित एवं सशक्त किया जाता है।

बैंक के स्थायी कार्यबल में 42%, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में लगभग 35% और बोर्ड में 29% महिलाएं शामिल हैं। बैंक सभी स्तरों और क्षेत्रों में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। महिला कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अनुकूल और सहज परिवेश प्रदान करता है।

बैंक अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा को अत्यधिक महत्त्व देता है और एक सुरक्षित कार्य परिवेश प्रदान करता है। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, बैंक लैंगिक उत्पीड़न के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति को अपनाता है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का पूर्ण रूप से अनुपालन करता है। यह अधिनियम बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत किसी को हानि पहुंचाने की भावना को रोकने और पीड़ित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने जैसे उपाय शामिल हैं। बैंक की इस नीति के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी किया गया है। इस पहल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देने की बैंक की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, बैंक में कोई शिकायत नहीं मिली, इससे पता चलता है कि ये उपाय कितने प्रभावी हैं। इसके अलावा, संस्था में महिला कर्मचारियों को सभी प्रकार के लाभ पुरुष कर्मचारियों के समान दिए जाते हैं और सभी स्तरों पर महिला-पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन प्रदान किया जाता है।

बैंक हर वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। यह महिलाओं की उपलब्धियों, तमाम चुनौतियों के बावजूद उनके आगे बढ़ते जाने और उनके अनूठे दृष्टिकोण तथा अनुभवों पर खुलकर बात करने का उत्सव है।

आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन

बैंक भर्ती प्रक्रिया में भारत सरकार की आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। बैंक में कुल कार्यबल में आरक्षित श्रेणियों के अधिकारियों का यथोचित प्रतिनिधित्व है। यथा 31 मार्च, 2025 को बैंक में कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 353 रही, जिनमें से 37 अनुसूचित जाति (एससी), 24 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 65 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से शामिल रहे। बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के स्टाफ सदस्यों को समान अवसर और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन में, बैंक समान अवसर नीति का पालन करता है, जो समावेशिता और विविधता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरक्षण नीतियों पर सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बैंक अपने कार्यबल में दिव्यांगजनों सहित कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। बैंक का यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति के समान अवसर मिलें, फिर चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि या शैक्षणिक योग्यता से हों।

यथा 31 मार्च, 2025 को एक्ज़िम बैंक के बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं की उपस्थिति

श्रेणी	कुल	महिलाओं की संख्या	महिलाओं का प्रतिनिधित्व, प्रतिशत में
निदेशक मंडल	14	4	29%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	26	9	35%

कर्मचारियों का लैंगिक और आयु संबंधी विवरण

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
तीस वर्ष से कम	32	26	58
30-50 वर्ष	144	104	248
50 वर्ष से अधिक	27	20	47

यथा 31 मार्च, 2025 को दिव्यांग अधिकारी

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	5	2.5
महिला	3	1.9
कुल	**8**	**2.27**

कर्मचारी लाभ और कल्याण

बैंक अपने कर्मचारियों को कई तरह के लाभ प्रदान करता है, जिनमें मातृत्व-पितृत्व अवकाश सहित स्वास्थ्य देखभाल और सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले लाभ शामिल हैं। बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी नीतियों के अनुरूप महिला और पुरुष दोनों क्रमशः मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। बैंक ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के संशोधनों को भी लागू किया है और बैंक के अधिकारीयों के लिए क्रेच सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त, मृत्यु, दिव्यांगता या गंभीर चोट जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बैंक अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को यथोचित सहयोग प्रदान करता है। इस सहायता में, व्यक्तिगत परिस्थितियों और लागू योजनाओं के आधार पर, ऐसे कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है, उनके परिवारों के लिए बैंक अनुग्रह भुगतान, वित्तीय सहयोग और अनुकंपा नियुक्तियों जैसी सहायता प्रदान करता है।

बैंक के लिए कर्मचारी कल्याण भी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और बैंक अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय में योग और जिम जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ये सुविधाएं कर्मचारियों के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य लाभ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने तथा कर्मचारियों में उत्साह बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं। बैंक नियमित व्यायाम और तनावमुक्त जीवनशैली को प्रोत्साहित करते हुए अपने कर्मचारियों के समग्र विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास

बैंक, सतत प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है और अपने कर्मचारियों के विकास और कौशल वृद्धि के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह प्रतिबद्धता न केवल कर्मचारियों का प्रदर्शन बढ़ाती है, बल्कि बैंक की समग्र सफलता में भी यह सहायक है। बैंक, अपने कर्मचारियों के निरंतर कौशल उन्नयन को सुगम बनाने के क्रम में सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, अधिकारियों को विशिष्ट पोर्टफोलियो संभालने के लिए उनके कौशल विकास के उद्देश्य से उन्हें ई-लर्निंग सहित विशिष्ट समूह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में नामित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक के परिचालनों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
कनिष्ठ प्रबंधन	31	34	65
मध्य प्रबंधन	93	71	164
वरिष्ठ प्रबंधन	60	36	96
शीर्ष प्रबंधन	12	3	15
कुल	**196**	**144**	**340**

उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और अभिशासन (गवर्नेंस)

उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और अभिशासन (गवर्नेंस)

बैंक संप्रेषण में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है और सभी हितधारकों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराता है। बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्कृष्ट पद्धतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार प्रयासरत रहा है। बैंक ने रणनीतिक नियंत्रण की एक व्यवस्था बनाई है और इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा की जाती है। व्यवसाय / वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामलों, और विश्लेषणात्मक डेटा/ सूचना समीक्षा को बोर्ड तथा बोर्ड की प्रबंध समिति (एमसी) को आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

गवर्नेंस संरचना

स्वामित्व

100% भारत सरकार का स्वामित्व

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981

एक्ज़िम बैंक का मिशन, उद्देश्य, भूमिका और कार्य-प्रणाली भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में निहित किए गए अनुसार है, जो निदेशक मंडल के गठन और बैंक के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन को भी निर्दिष्ट करता है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020

बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की प्रबंध समिति की शक्तियों से संबंधित दिशानिर्देश, सामान्य प्रावधान आदि भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली में विहित अनुसार हैं।

बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है, जो इसका एकमात्र शेयरधारक है। बैंक का मूल मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार है। एक्ज़िम बैंक का मिशन, उद्देश्य, भूमिका और कार्य-प्रणाली भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में विहित किया गया है, जो निदेशक मंडल के गठन और बैंक के सामान्य अधीक्षण और प्रबंधन को भी निर्दिष्ट करता है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम की एक मुद्रित प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी में) एक्ज़िम बैंक के भारत और विदेशों में स्थित सभी कार्यालयों में उपलब्ध है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम को बैंक की वेबसाइट से भी सरलता से डाउनलोड किया जा सकता है।

निदेशक मंडल

बैंक के परिचालन निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम में बोर्ड के गठन का प्रावधान है। यथा 31 मार्च, 2025 को बोर्ड में तीन पूर्णकालिक निदेशक, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच निदेशक, विनियामक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक, वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रमुख भारतीय बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निदेशक और भारत की ईसीजीसी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक और व्यापार शामिल रहे।

बोर्ड स्तरीय समितियां

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि प्रबंधन माध्यम के रूप में वृद्धि हो और बैंक सांविधिक, बाहरी, आंतरिक और संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्टों में इंगित किए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। लेखा परीक्षा समिति (एसी) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है।

जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिमों के संबंध में एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति संबंधी कार्य देखती है।

प्रबंध समिति

बैंक की प्रबंध समिति (एमसी) ऋण प्रस्तावों के संबंध में अनुमोदन/पुष्टि/संस्तुति करती है और संबंधित मामलों की समीक्षा करती है। अपनी शक्तियों के प्रयोग में, प्रबंध समिति बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले सामान्य या विशेष निर्देशों से बाध्य है।

हितधारक संबंध समिति

बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुसार, विशेष रूप से बैंक के ऋण प्रतिभूति धारकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए हितधारक संबंध समिति का गठन किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को बैंक पर लागू विनियमों के अनुरूप बनाने और तदनुसार उन पहलों के कार्यान्वयन की रणनीति बनाने में नीतिगत स्तर पर मार्गदर्शन करती है। आईटीएससी के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों और उत्तरदायित्वों में बैंक के आईटी गवर्नेंस एवं सूचना सुरक्षा गवर्नेंस को सुदृढ़ करना, और साइबर सुरक्षा तथा बैंक की डिजिटल पहलों को बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

मानव संसाधन समिति

बोर्ड की मानव संसाधन समिति, सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एचआर पद्धतियों पर बैंक का केंद्रित मार्गदर्शन सुनिश्चित करती है। इसके प्रमुख उत्तरदायित्वों में बैंक की एचआर नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना और इस संबंध में बोर्ड को संस्तुति करना शामिल है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति मुख्य रूप से बैंक की सीएसआर पहलों का पर्यवेक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर के अंतर्गत पहलों को शामिल करने, उनकी

समीक्षा करने और उनकी संस्तुति करने के लिए बैंक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का पालन किया जा रहा है। यह समिति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करती है।

पारिश्रमिक समिति

पारिश्रमिक समिति बैंक के प्रबंध निदेशक या बोर्ड की उप-समितियों को प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट करने वाले पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा एवं प्रोत्साहन से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन करती है।

बैंक की बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों में उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति, असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण संबंधी समीक्षा समिति, धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति, और पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति शामिल हैं। बैंक की बोर्ड स्तरीय इन समितियों की संरचना, भूमिकाएं, उत्तरदायित्व, कार्यप्रणाली तथा बैठकों की आवृत्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

अनुपालन संस्कृति

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति लागू है। मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारत सरकार, आरबीआई और अन्य विनियामकों और बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी लागू संविधियों, विनियमों और अन्य प्रक्रियाओं / नीतियों के अनुपालन विषयों के साथ-साथ यदि अनुपालन में कोई विचलन होता है तो उसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं।

बैंक पर लागू विभिन्न भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार, एक योग्य कंपनी सचिव के रूप में अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

बैंक ने एक मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी नियुक्त किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्रसार और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी है।

केवाईसी, एएमएल और सीएफटी उपाय

बैंक में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, 'ग्राहक परिचय (केवाईसी) मानदंडों, धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)' के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

केवाईसी, एएमएल और सीएफटी नीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति;

(ख) जोखिम प्रबंधन;

(ग) ग्राहक पहचान प्रक्रिया; और

(घ) ट्रांज़ैक्शनों की निगरानी।

बैंक द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस सेवा का उपयोग किया जाता है, जो विश्व के सभी प्रमुख निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय विनियामकों की चेतावनी सूचियों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। बैंक के सभी ग्राहकों को केवाईसी मानकों के अधीन लाया जाता है, जिससे स्वाभाविक/ विधिसम्मत व्यक्ति और लाभार्थी स्वामित्व की पहचान में मदद मिलती है।

केवाईसी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं, कोरेस्पॉन्डेंट बैंको को चिह्नित करना और नए स्टाफ सदस्यों की भर्ती करना शामिल है। बैंक अपने काउंटरपार्टी बैंकों द्वारा केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पद्धति के अनुरूप वुल्फ्सबर्ग ग्रुप एएमएल प्रश्नावली के माध्यम से आवश्यक डेटा प्राप्त करता है। बैंक आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और तरीकों के अनुसार कतिपय ट्रांज़ैक्शनों के संबंध में जानकारियों का रिकॉर्ड रखता है। ये रिकॉर्ड ट्रांज़ैक्शनों की प्रकृति के अनुसार, व्यवसाय संबंध के समाप्त होने के अंत से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के स्तर के एक अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बैंक के केवाईसी, एएमएल और सीएफटी उपायों के लिए उत्तरदायी हैं। केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीति का सारांश बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

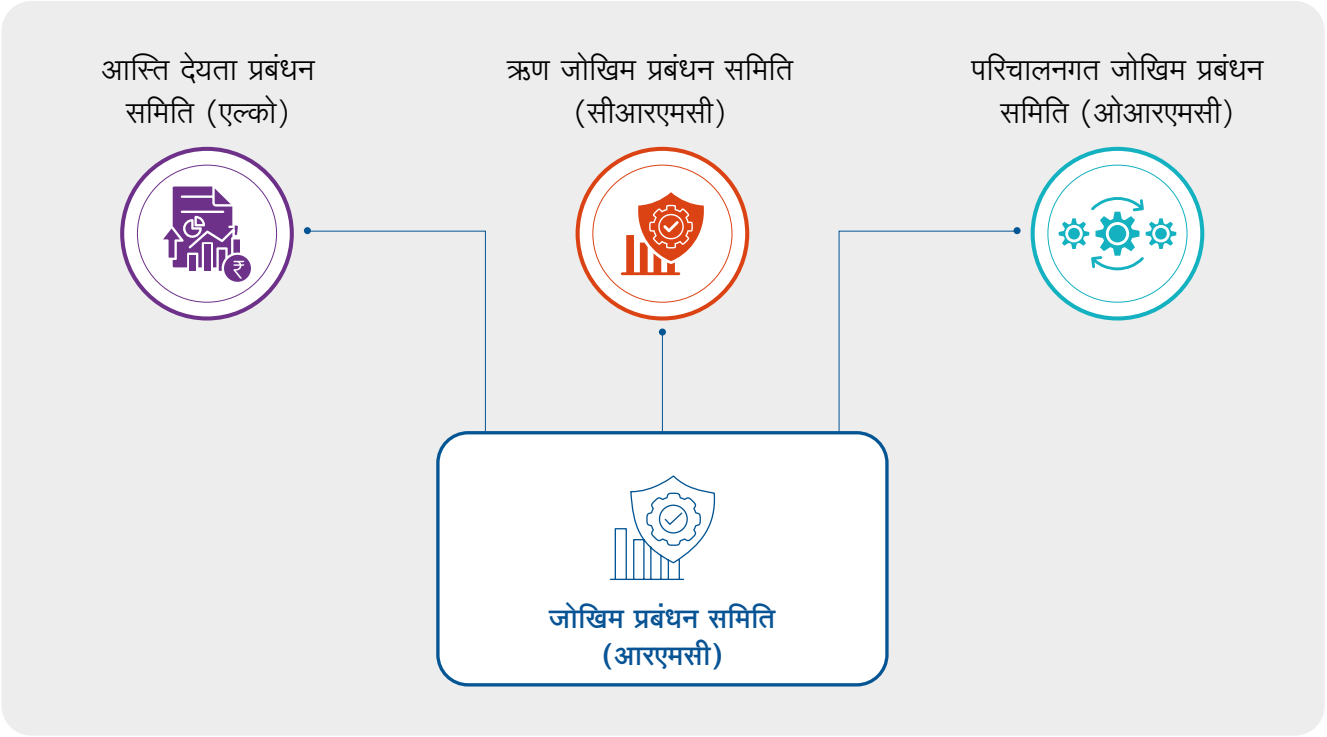

जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों (पोर्टफोलियों, लिक्विडिटी, ब्याज दर, बैलेंस शीट से इतर और परिचालन जोखिमों) के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करती है। आरएमसी द्वारा एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाती है और उसकी समीक्षा की जाती है। साथ ही, बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, औद्योगिक क्षेत्रगत, सस्टैनेबिलिटी (विशेष रूप से ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों या अन्य जोखिमों को चिह्नित करने के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करती है। इसके अलावा, आरएमसी अस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों की निगरानी करती है, जिनमें से सभी में क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होता है। जोखिम प्रबंधन समूह का नेतृत्व मुख्य जोखिम अधिकारी करते हैं, जो बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करते हैं।

एल्को जहां आस्ति देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों को देखती है और बैंक के समग्र बाजार जोखिम (लिक्विडिटी, ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, वहीं सीआरएमसी को बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों के विश्लेषण, प्रबंधन और नियंत्रण संबंधी कार्य करती है।

बैंक में एक उन्नत ऋण जोखिम मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटरों / उपायों को शामिल करते हुए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने और ऋण जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण ग्रेडिंग करने में मदद मिलती है। यह मॉडल किसी उधारकर्ता के उद्यम स्तर पर तथा इकाई स्तर पर जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करता है। प्रस्तावों के लिए ऋण अधिकारियों द्वारा दी गई रेटिंग की स्वतंत्र रूप से समीक्षा के लिए अलग रेटिंग समिति है।

ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिमों की समीक्षा करती है और पुनः ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही, बैंक की आईटी अस्तियों से संबंधित/ उत्पन्न परिचालनागत जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने, और/या मापने, निगरानी करने और नियंत्रण/जोखिमों को कम करने का काम करती है।

बैंक व्यवसाय निरंतरता और अपने सभी कार्यालयों की आपदा बहाली योजनाओं की वार्षिक समीक्षा करता है। जोखिमों के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक योजना की भलीभांति जांच की जाती है कि ये योजनाएं संकट की स्थिति में व्यवसाय निरंतरता बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं और जोखिम से सुरक्षा के उपाय कैसे हैं।

जोखिम वहन क्षमता नीति

बैंक ने अपने रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के अनुरूप, बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति को अंगीकृत किया है। जोखिम वहन क्षमता के विवरण के भाग के रूप में प्रमुख आयामों में पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा और अनुपालन संबंधी जोखिम शामिल हैं। इन जोखिम आयामों के तहत, प्रत्येक पैरामीटर के लिए निर्धारित टॉलरैंस सीमा सहित जोखिम वहन पैरामीटर होते हैं। जोखिम वहन पैरामीटर की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, और बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति को छमाही आधार पर यह समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

ईएसजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क

बैंक ने अपनी गवरर्नेंस संरचना में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति को अंगीकृत कर ईएसजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। बैंक का लक्ष्य ईएसजी से संबंधित प्रकटीकरणों को निरंतर बढ़ाते रहना है। बैंक में एक अलग ईएसजी समूह है।

संपोषी विकास / उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण संबंधी नीति

बैंक का मानना है कि संपोषी विकास एक संस्थागत प्रतिबद्धता है और यह सुविचारित कॉर्पोरेट नागरिकता और श्रेष्ठ व्यवसाय पद्धतियों के मूल सिद्धांतों, दोनों का अभिन्न हिस्सा है। इसे साकार करने के लिए, सस्टैनेबिलिटी को संस्था की तमाम नीतियों, प्रक्रियाओं और परिचालनों से एकीकृत करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, सस्टैनेबिलिटी कॉर्पोरेट पहचान और संस्कृति का केन्द्र है।

उत्तरदायित्वपूर्ण वित्त का संबंध सुशासन, पूंजी संरक्षण और इसकी गुणवत्ता पर जोर, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और सक्रिय सामाजिक और पर्यावरणीय उपायों से है। उत्तरदायित्वपूर्ण वित्त के लिए ईएसजी जोखिम प्रबंधन को किसी वित्तीय संस्था की व्यवसाय रणनीति और निर्णयन प्रक्रियाओं में एकीकृत करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'संपोषी विकास/ उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण' के लिए बैंक की पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस नीति' (ईएसजी नीति) को अंगीकृत किया है। इस नीति का उद्देश्य ईएसजी जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के जरिए बैंक के वित्तपोषण संबंधी निर्णयों की तार्किकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, भारतीय कंपनियों की ईएसजी स्पर्धात्मकता को बढ़ाना, सरकार के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। संपोषी वित्त के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को सुविचारित तरीके से सुदृढ़ करने के अलावा, बाद में हुई चर्चा के अनुसार, ईएसजी नीति को बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया को ईएसजी जोखिम मूल्यांकन के साथ एकीकृत किया गया है। इस नीति में एक 'एक्सक्लूज़न लिस्ट' का भी प्रावधान है और ऐसे किसी भी ऋण प्रस्ताव को बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है, जो इस सूची में प्रतिबंधित गतिविधियों के अंतर्गत आता हो। बैंक की ईएसजी और संपोषी पहलों को बढ़ावा देने के लिए, ईएसजी मेट्रिक्स और उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण को बैंक के एक प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) के रूप में शामिल किया गया है।

बैंक संपोषी विकास और उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के प्रयोजन को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए तत्पर रहता है। बैंक अपने जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्त को सुदृढ़ करने और पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से सुविचारित वित्तपोषण की दिशा में अग्रसर है। बैंक ने भारतीय बैंक संघ की पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी स्थायी समिति में एक सदस्य को भी नामित किया है, और यह इस क्षेत्र में अन्य बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

ईएसजी ढांचा (फ्रेमवर्क)

बैंक ने दिसंबर, 2021 में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क (ईएसजी फ्रेमवर्क) विकसित किया था, जिसके तहत बैंक संपोषी बॉन्ड और ऋण जारी करता है और इनकी प्राप्त राशियों का इस्तेमाल, संपोषी अर्थव्यवस्था में अंतरण को सुगम बनाने वाली और विकासशील देशों में सामाजिक लाभ प्रदान करने वाली मौजूदा या भावी परियोजनाओं के आंशिक या पूर्ण वित्त या पुनर्वित्त के लिए करता है। ईएसजी फ्रेमवर्क छह हरित (पात्र हरित श्रेणियां – अक्षय ऊर्जा, संपोषी अपशिष्ट और जल प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन, हरित भवन, ऊर्जा दक्षता) और चार सामाजिक क्षेत्रों (आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच, खाद्य सुरक्षा और सतत खाद्य प्रणाली, एमएसएमई वित्तपोषण, किफायती आवासन) में पात्रता मानदंड को परिभाषित करता है। इस फ्रेमवर्क की समीक्षा सेकेंड पार्टी ओपिनियन (एसपीओ) प्रदाता – सस्टेनैलिटिक्स द्वारा की गई है। एसपीओ ने पुष्टि की है कि फ्रेम वर्क 'विश्वसनीय और प्रभावशाली' है और यह इंटरनैशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (आईसीएमए), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन (एपीएलएमए) और लोन सिंडिकेशन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन (एलएसटीए) द्वारा प्रशासित अनुसार, सस्टैनेबिलिटी बॉन्ड दिशानिर्देश 2021, ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत 2021 और सामाजिक बॉन्ड सिद्धांत 2021 के अनुरूप है। साथ ही, यह लोन मार्केट एसोसिएशन (एलएमए) द्वारा प्रशासित अनुसार, हरित ऋण सिद्धांत 2021 और सामाजिक ऋण सिद्धांत 2021 के अनुरूप है। एसपीओ ने यह भी उल्लेख किया है कि बैंक, परियोजनाओं से जुड़े सामान्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से निपटने के लिए समुचित उपाय करने की अच्छी स्थिति में है।

संपोषी वित्त समिति

संपोषी वित्त समिति (एसएफसी) में संपोषी वित्त समूह के प्रमुख और बैंक के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। एसएफसी, बैंक की ईएसजी नीति के कार्यान्वयन, ऋण प्रस्तावों की ईएसजी रेटिंग को मंजूरी देने और बैंक के ईएसजी ढांचे के तहत संपोषी वित्तपोषण ट्रांज़ैक्शनों के रूप में पात्र परियोजनाओं को वर्गीकृत करने के लिए उत्तरदायी है।

ईएसजी जोखिम मूल्यांकन

बैंक ने अंतर्निहित ईएसजी जोखिमों को चिह्नित करने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को समग्र ऋण जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत किया है। बैंक ने ऋण प्रस्तावों में पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी जोखिमों को चिह्नित करने और उनका आकलन करने के लिए इक्वेटर सिद्धांतों, स्थानीय विनियमों और सर्वोत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर आंतरिक मॉडल विकसित किए हैं। ईएसजी जोखिमों का आकलन करने के लिए बिना किसी सीमा के सभी ऋण प्रस्तावों की जांच की जाती है। बैंक जलवायु परिवर्तन से होने वाली अनिश्चितताओं और आर्थिक वित्तीय प्रणालियों पर इसके प्रभाव को संज्ञान में लेता है। इन मॉडलों में पर्यावरणीय मापदंडों में जलवायु जोखिम संबंधी कारकों को भी शामिल किया गया है। बैंक ने सभी ऋण प्रस्तावों के लिए ईएसजी स्कोर और जोखिम वर्गीकरण को अनुमोदन देने के लिए एक समिति-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।

इन मॉडलों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन पारिस्थितिक तंत्र, समुदायों और जलवायु पर संभावित नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए पहला आवश्यक कदम है। यदि ये प्रभाव अपरिहार्य हैं, तो इन्हें न्यूनतम और कम किया जाना चाहिए और जहां अवशिष्ट प्रभाव रहता है, वहां उधारकर्ताओं को पर्यावरणीय प्रभाव को समायोजित करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। एसएफसी इन जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर सकती है।

ईएसजी केंद्रित अन्य नीतियां और तंत्र

बैंक में नीतियों, तंत्रों और विवरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो विभिन्न ईएसजी पहलुओं में बैंक की प्रतिबद्धता का मार्गदर्शन और सहयोग करती है।

व्यवसाय के नैतिक सिद्धांत

बैंक अपनी उपस्थिति और क्रियाकलापों के हर पहलू में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि यह भारत के नागरिकों द्वारा सृजित है और उन्हीं से अनवरत कार्यरत है। देश के नागरिकों के भरोसे और भारत की सार्वजनिक निधियों के प्रबंधक के रूप में, बैंक का नागरिकों के प्रति एक कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है तथा बैंक अपने सभी कार्यों में इससे निर्देशित होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार बैंक एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। तद्नुसार, बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम (www.eximbankindia.in/rti-act) की धारा 4(1) (बी) के अनुपालन में अपनी वेबसाइट पर सक्रियता से प्रकटीकरण किया है। बैंक की वेबसाइट (www.eximbankindia.in/rti-act) पर बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने के निर्देश बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

व्यवसाय के नैतिक सिद्धांतों को केंद्र में रखकर बैंक द्वारा अंगीकृत की गई नीतियां और संहिताएं

निर्यात-आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम

- बैंक ने निर्यात-आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम* को अंगीकृत किया है, जो बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू है।
- इसमें बैंक के अधिकारियों पर यथा लागू सत्यनिष्ठा, आचरण, गोपनीयता का अनुपालन, हितों के टकराव, कदाचार के लिए दंड, अनुशासनिक प्रक्रिया, अपील आदि से संबंधित विनियम शामिल हैं।

नागरिक चार्टर

- बैंक की प्रतिबद्धता है कि अपने सभी हितधारकों के साथ सभी डीलिंग सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सम्मान की बुनियाद पर आधारित होंगी।
- भारत के कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक विधियों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पूर्णतः अनुपालन करेगा।
- अपने विभिन्न हितधारकों के प्रति बैंक के दायित्व इसके नागरिक चार्टर* में बताए गए हैं।

निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

- आचार संहिता* बनाई गई है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका, सुशासन पद्धतियों के लिए बैंक के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

* बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है

आचार संहिता

- बैंक ने ऋणदाता की देयता के लिए आचार संहिता को अंगीकृत किया है।
- संहिता दस्तावेज में आवेदन, मूल्यांकन, संवितरण, पर्यवेक्षण आदि जैसे सभी चरणों में बैंक की ऋण गतिविधियों में स्पष्टता, पारदर्शिता और अनुक्रियात्मकता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किया गया है।

सचेतक (विसल ब्लोअर) नीति

- बैंक ने सचेतक (विसल ब्लोअर) नीति* के रूप में एक सतर्कता तंत्र विकसित किया है और इसे अंगीकृत किया है।
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति इस सतर्कता तंत्र और सचेतक से प्राप्त सभी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखती है।

घूसखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति

- सतर्कता – तंत्र के हिस्से के रूप में बैंक ने घूसखोरी और भ्रष्टाचार निरोधक नीति को अंगीकृत है जो भ्रष्टाचार नियंत्रण और रिपोर्टिंग तंत्र की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

* बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है

कार्यस्थल और मानव पूंजी

बैंक, प्रतिभा विकास में विश्वास करता है और इसके लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चिह्नित कर उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करने के लिए अवसर प्रदान करता है। बैंक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उन्नति के अवसरों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की व्यावसायिक संवृद्धि और विकास में निवेश करता है। एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य परिवेश प्रदान करने के क्रम में बैंक किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सख्ती से निषेध करता है। बैंक कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखता है और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम के अनुरूप इस संबंध में एक नीति को अंगीकृत किया गया है। कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंक में एक आंतरिक समिति है।

शिकायत निवारण-तंत्र

बैंक ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने और विवादों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से हल करने के महत्त्व को समझता है। कोई भी उधारकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण अधिकारी को लिख सकते हैं, जो एक पदनामित वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। पदनामित अधिकारी के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट उधारकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी सामान्यतया बैंक के उप प्रबंध निदेशक होते (उप्रनि) हैं और उप्रनि की अनुपस्थिति में, प्रबंध निदेशक (प्रनि) अपीलीय प्राधिकारी होते हैं। बैंक में एक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है और उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण अधिकारी और उधारकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय प्राधिकारी और निवेशक शिकायतों की सहायता और निपटान के लिए अधिकारी के विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

सूचना सुरक्षा और डेटा संरक्षण

साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना

साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन नीति, साइबर सुरक्षा संबंधी फ्रेमवर्क के रणनीतिक दिशानिर्देशों को परिभाषित करते हैं। यह फ्रेमवर्क बैंक के साइबर बुनियादी ढांचे व्यावसायिक सेवाओं तथा अन्य संबंधित प्रणालियों पर साइबर हमलों का प्रभावी ढंग से पता लिखने, समुचित कार्रवाई करने और रिकवरी के लिए जरूरी है।

सूचना सुरक्षा नीति

सूचना सुरक्षा नीति में वे नियम और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें बैंक द्वारा अपनी प्रक्रियाओं और कंप्यूटर एवं सूचना संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। सूचना सुरक्षा नीति, किसी सूचना संपत्ति को हानि, या संभावित नुकसान से बचाती है और संसाधनों के समुचित उपयोग में मददगार है। यह नीति बैंक में व्यापक सूचना सुरक्षा तंत्र स्थापित करने हेतु प्रबंधन की गंभीरता को भी प्रदर्शित करती है।

सूचना सुरक्षा, सूचना जोखिमों को कम करते हुए सूचना को सुरक्षित रखने की पद्धति है। सूचना सुरक्षा संबंधी क्रियाकलाप, बैंक के डेटा और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच, चोरी या क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

सूचना सुरक्षा कार्य के मुख्य उद्देश्य हैं:

- **गोपनीयता**: यह सुनिश्चित करना कि संवेदनशील जानकारी तक केवल अधिकृत कर्मियों की ही पहुंच हो और अनधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं के समक्ष प्रकट न हो।
- **सत्यनिष्ठा**: अनधिकृत परिवर्तन या छेड़छाड़ से सूचना को सुरक्षित रखना ताकि सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- **उपलब्धता:** यह सुनिश्चित करना कि जरूरत पड़ने पर अधिकृत कर्मियों के लिए सूचना सुलभ हो और साइबर हमलों या अन्य सुरक्षा घटनाओं से सिस्टम प्रभावित न हों।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक ने फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और वल्नरेबिलिटी प्रबंधन जैसे शृंखलाबद्ध सुरक्षा नियंत्रण विकसित किए हैं। सूचना सुरक्षा कार्य का नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सिसो) द्वारा किया जाता है, जो सुरक्षा नियंत्रणों के कार्यान्वयन और रखरखाव संबंधी कार्य देखते हैं। सिसो यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ मिलकर काम करते हैं कि बैंक की सुरक्षा स्थिति बैंक के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप है।

साइबर अपराधियों के रूप में साइबर जोखिम परिदृश्य बहुत खराब हो गया है और साइबर हमलों के खतरे, तेजी से परिष्कृत रूप में ग्राहकों और कर्मचारियों को लक्षित कर रहे हैं। साइबर जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने सूचना सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के लिए एक सुपरिभाषित गवर्नेस संरचना बनाई है। बैंक में सीसो के नेतृत्व में एक सूचना सुरक्षा इकाई (आईएसयू) का गठन किया गया है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना को अंगीकृत किया गया है।

साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के संबंध में रणनीतिक दिशानिर्देशों को परिभाषित करती हैं, जो बैंक की साइबर अवसंरचना, व्यवसाय सेवाओं और अन्य संबंधित आस्तियों पर प्रभावी ढंग से साइबर हमलों का पता लगाती हैं, जिसमें उन साइबर हमलों पर समुचित कार्रवाई करना और रिकवरी शामिल है।

आईएसयू द्वारा डेटा सुरक्षा जोखिम और साइबर सुरक्षा संबंधी विनियमों के अनुपालन जैसे अन्य साइबर सुरक्षा संबंधी मामलों की निगरानी की जाती है। बैंक ने साइबर खतरे से बचे रहने के लिए सक्रिय रूप से साइबर स्वच्छता (हाइजीन) में सुधार और नियंत्रण परिवेश के लिए विशिष्ट संसाधन लगाना जारी रखा है।

आईएसओ 27001 प्रमाणन सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। यह सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और इसमें लगातार सुधार लाने की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है। इस मानक में सूचना सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें जोखिम प्रबंधन, सुरक्षा नीतियां और प्रक्रियाएं, पहुंच नियंत्रण, घटना प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता शामिल हैं। इसमें एक अपेक्षा मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा ऑडिट कराना भी शामिल है, जो यह सत्यापित करता है कि बैंक का आईएसएम एस, आईएसओ 27001 की अपेक्षाओं के अनुपालन में है।

बैंक ने उद्यम स्तर पर सूचना आस्तियों की निगरानी के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है। एसओसी में सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) सॉफ्टवेयर का उपयोग किया

गया है, जो बैंक की प्रौद्योगिकी अवसंरचना में उत्पन्न लॉग एकत्र और संकलित करता है। बैंक की आस्तियों की 24x7 निगरानी की जा रही है। एसओसी टीम द्वारा रक्षा और नेटवर्क सुरक्षा में कमी चिह्नित करने के लिए रेड टीमिंग कार्य भी किया जाता है।

बैंक ने नियमित रूप से वल्नरेबिलिटी मूल्यांकन और पेनिट्रेशन जांच (वीएपीटी) के लिए इन-हाउस क्षमताएं विकसित की हैं। बैंक सीआईए (गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता) के अनुसार आईटी जोखिम मूल्यांकन करता है और सूचना आस्तियों की समुचित जोखिम रैंकिंग के साथ एक जोखिम रजिस्टर तैयार करता है।

बैंक सूचना / साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहलें करता है और साइबर सुरक्षा खतरों पर कर्मचारियों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, और डिजिटल प्लैटफॉर्मों के सुरक्षित तरीके से उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जारी करता है।

बैंक साइबर सुरक्षा के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, क्योंकि बैंक न सिर्फ संस्था, बल्कि अपने ग्राहकों की सुरक्षा को भी वरीयता देता है। बैंक के सभी कर्मचारियों को साइबर/सूचना सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाया जाता है और इसके बाद उनका एक व्यापक सूचना सुरक्षा मूल्यांकन भी किया जाता है। ये मूल्यांकन उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए कार्यबल की तैयारी के एक महत्त्वपूर्ण उपाय के रूप में काम करते हैं।

इसके अलावा, साइबर सुरक्षा के प्रति बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण में साल में दो बार फ़िशिंग सिमुलेशन आयोजित करना भी शामिल है। ये सिमुलेशन, बैंक की सुरक्षा रणनीति का एक अभिन्न अंग हैं। इनके जरिए बैंक को अपनी जागरूकता पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2023, वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान बैंक को ग्राहक गोपनीयता के उल्लंघन, लीक, चोरी या ग्राहक डेटा के नुकसान से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

बैंक का डेटा सेंटर और आपदा बहाली स्थल (डिजास्टर रिकवरी साइट) आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित हैं।

सतर्कता

सतर्कता बैंकिंग उद्योग का एक मूलभूत पहलू है, जो परिचालनों की सुरक्षा, सत्यनिष्ठा और अनुपालन सुनिश्चित करता है। बैंक में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता संबंधी किसी भी मामले के लिए बैंक की मुख्य सतर्कता अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। उनके संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट (www.eximbankindia.in/vigilance) पर उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक द्वारा प्रणालीगत सुधार के लिए निरंतर निवारक उपाय किए जाते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के क्रम में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुरूप, एक्ज़िम बैंक ने चुनिंदा क्षेत्रों में निवारक उपायों पर फोकस करने के उद्देश्य से तीन महीने का एक अभियान चलाया। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल रहे:

क्षमता विकास कार्यक्रम	**प्रणालीगत सुधार उपायों को चिह्नित करना और उनका कार्यान्वयन**	**परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअलों को अद्यतित करना**
30.06.24 के पहले प्राप्त हुई शिकायतों का निपटान करना	**डायनैमिक डिजिटल उपस्थिति**	

इस अभियान अवधि के दौरान, बैंक के अधिकारियों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सीवीसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया:

- **नैतिकता एवं गवर्नेंस**
- **आचार नियम**
- **संस्था की प्रणालियां और प्रक्रियाएं**
- **साइबर स्वच्छता और सुरक्षा**
- **खरीद (प्रोक्योरमेंट)**

'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया

वर्ष 2024-25 के दौरान, एक्ज़िम बैंक द्वारा 28 अक्टूबर, 2024 से 03 नवंबर, 2024 तक 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) का आयोजन किया गया। इस सप्ताह की शुरूआत अधिकारियों को 'सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' दिलाकर की गई। इसका उद्देश्य कार्यस्थल तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए उत्साह बढ़ाना था।

इस सप्ताह के दौरान, बैंक द्वारा 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' विषय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपर सचिव, श्रीमती आरती सी. श्रीवास्तव का एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अभियान अवधि के दौरान, बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के विषय पर विभिन्न पोस्ट तैयार किए गए। साथ ही, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा शेयर किए गए जिंगल का प्रचार-प्रसार भी किया गया। सामान्य नागरिकों में इसके प्रति जागरूकता लाई जा सके, इसलिए ये पोस्ट और जिंगल को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों पर साझा किया गया। इस सप्ताह के दौरान प्रबंध निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं उप प्रबंध निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से बैंक की सतर्कता ई-जर्नल का विमोचन किया गया। इसके अलावा, इसके अंतर्गत बैंक अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने हिंदी एवं अंग्रेज़ी में लेख और चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। सप्ताह के दौरान सतर्कता की जागरूकता तथा व्यवसाय नैतिकता के महत्त्व को समझाने के क्रम में एक प्रश्नमंच (क्विज़) का भी आयोजन किया गया।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट

अध्याय 1: एक्ज़िम बैंक के बारे में

एक नजर में

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) की स्थापना, समय-समय पर यथा संशोधित, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत एक निगम के रूप में की गई थी। बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। एक्ज़िम बैंक, पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के वित्तपोषण, सुगमीकरण तथा संवर्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बैंक भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। बैंक भारतीय कंपनियों को उनके व्यवसाय चक्र के सभी चरणों में व्यापक सहायता प्रदान करता है। बैंक के वित्तीय उत्पाद भारतीय निर्यातकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी के आयात, निर्यात उत्पादों का विकास, विनिर्माण, मार्केटिंग, शिपमेंट और बाजारों तक पहुंच बनाने और वैल्यू चेन लिंकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं।

पॉलिसी बैंक के रूप में एक्ज़िम बैंक, सहभागी देशों को उनकी विकास प्राथमिकताएं पूरी करने के लिए वित्त प्रदान कर और विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने के साथ-साथ उच्च मूल्य वर्धित और प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा कर भारत सरकार की विकास साझेदारी को सुगम बनाने में भी सहायक रहा है।

बैंक के हितधारक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाओं से भी लाभान्वित होते हैं। इनमें अनुसंधान, मार्केटिंग सहयोग, क्षमता विकास कार्यशालाएं और ग्रासरूट स्तर के उद्यमों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ सेमिनारों, वेबिनारों तथा एक्ज़िम मित्र पोर्टल के माध्यम से संबंधित जानकारियों का प्रसार करना शामिल है।

मानव संसाधन

बैंक में यथा 31 मार्च, 2025 को कुल अधिकारियों की संख्या 570 है। सभी अधिकारी बैंकर, प्रबंधन स्नातक, चार्टर्ड अकाउंटैंट, अर्थशास्त्री, इंजीनियर, पुस्तकालय और प्रलेखन विशेषज्ञ और आईटी विशेषज्ञ सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं।

भौगोलिक उपस्थिति

बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। विदेशों में आबिदजान, अदिस अबाबा, ढाका, दुबई, जोहान्सबर्ग, नैरोबी, साउ पाउलो, सिंगापुर, वाशिंगटन, डीसी और यांगून में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं और लंदन में एक शाखा है।

अध्याय 2: रिपोर्टिंग सीमा

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने अपने सभी परिचालनों में जीएचजी उत्सर्जन की गणना के लिए परिचालनगत नियंत्रण पद्धति अपनाई है। सीमा में बैंक के अखिल भारतीय परिचालन को कवर किया गया है। यह रिपोर्ट बैंक के जीएचजी को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रबंधन प्रक्रियाओं और पद्धतियों को भी चिह्नित करती है।

परिचालन सीमा

वार्षिक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 उत्सर्जन, कॉर्पोरेट लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक: जीएचजी गणना मानकः ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल में अपेक्षित अनुसार हैं, जिसमें निम्नलिखित पांच सिद्धांत शामिल हैं:

क) प्रासंगिकता: जीएचजी गणना में प्रासंगिकता के सिद्धांत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के सटीक और सार्थक माप और रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त उत्सर्जन स्रोतों और सीमाओं के चयन के महत्त्व पर बल दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि गणना में ऐसे सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोतों और गतिविधियों पर फोकस है जिनका समग्र उत्सर्जन प्रोफाइल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक जटिलता या मामूली उत्सर्जन वाली रिपोर्टिंग से बचा जाता है। प्रासंगिकता के सिद्धांत में माना जाता है कि सभी उत्सर्जन स्रोत जलवायु परिवर्तन में अपने योगदान के संदर्भ में समान रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ गतिविधियों या क्षेत्रों में अन्य की तुलना में अधिक उत्सर्जन हो सकता है और उन प्रमुख स्रोतों पर फोकस करने से उत्सर्जन प्रबंधन और उन्हें कम करने के प्रयासों के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण मिलता है। सबसे प्रासंगिक स्रोतों को चिह्नित कर और उन्हें शामिल कर, संस्थाएं सार्थक उत्सर्जन न्यूनीकरण के लिए संसाधनों और कार्यों की प्राथमिकता तय कर सकती हैं। प्रासंगिकता सिद्धांत के तहत उपयुक्त उत्सर्जन सीमाओं का चयन करना भी अहम है। ये सीमाएं गणना के दायरे को परिभाषित करती हैं और तय करती हैं कि कौनसी गतिविधियों और उत्सर्जन स्रोतों को गणना में शामिल किया गया है या बाहर रखा गया है। स्पष्ट सीमाएं परिभाषित कर संस्थाएं सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी उत्सर्जन गणना में उनके परिचालनों के सबसे प्रासंगिक पहलू आ गए हैं।

ख) पूर्णता: जीएचजी गणना में पूर्णता का सिद्धांत गणना प्रक्रिया में सभी प्रासंगिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों और शामिल न किए जाने वाले उत्सर्जनों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। इसके लिए गणना के परिभाषित दायरे और सीमाओं के भीतर सभी महत्त्वपूर्ण स्रोतों से उत्सर्जन को शामिल करना आवश्यक है। पूर्णता का सिद्धांत सभी उत्सर्जन स्रोतों से गणना कर किसी संस्था या इकाई के कार्बन फुटप्रिंट का व्यापक और सटीक

मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि गणना में जीएचजी उत्सर्जनों का समग्र और व्यापक मूल्यांकन किया गया है। यह विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन को कैप्चर करता है, जिसमें प्रत्यक्ष उत्सर्जन (स्कोप 1), खरीदी गई ऊर्जा से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (स्कोप 2), और मूल्य शृंखला गतिविधियों (स्कोप 3) से अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल हैं। यह गणना प्रक्रिया सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए किसी संस्था के समग्र उत्सर्जन प्रभाव की अधिक सटीक समझ प्रदान करती है।

ग) **समरूपता:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन गणना में समरूपता के सिद्धांत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापते और रिपोर्ट करते समय समरूप पद्धतियों, मान्यताओं और डेटा के उपयोग के म हत्त्व पर बल दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि जीएचजी गणना में समरूप दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है और उत्सर्जन ट्रेंड की सटीक ट्रैकिंग, विभिन्न गणना अवधियों के बीच तुलना और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आकलन को सुगम बनाता है। समरूपता से विभिन्न गणना अवधियों, संस्थाओं या क्षेत्रों के बीच सार्थक तुलना की जा सकती है। समरूप पद्धतियों का उपयोग कर, ट्रेंड चिह्नित करना, समय के साथ उत्सर्जन में परिवर्तन का विश्लेषण करना और उत्सर्जन में कमी के उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, जीएचजी गणना में समरूपता से संस्थाओं को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की दिशा में उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाता है। समरूप पद्धतियों और मान्यताओं का उपयोग कर यह आकलन करना संभव हो जाता है कि उत्सर्जन समय के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है और यह भी तय किया जा सकता है कि उत्सर्जन कम करने के प्रयासों से वांछित परिणाम मिल रहे हैं या नहीं।

घ) **पारदर्शिता:** जीएचजी गणना में पारदर्शिता के सिद्धांत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने और रिपोर्ट करने में उपयोग की जाने वाली विधियों, डेटा स्रोतों और गणना प्रक्रियाओं के खुले तौर पर प्रकटीकरण के महत्त्व पर बल दिया गया है। इसमें स्पष्ट और सुलभ दस्तावेज प्रदान करना शामिल है, जो रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन के रेप्लिकेशन और सत्यापन को संभव बनाता है। पारदर्शिता, रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में भरोसे और विश्वास को बढ़ावा देती है। साथ ही, इससे हितधारकों के लिए उत्सर्जन सूचना की विश्वसनीयता का आकलन करना सुगम हो जाता है और उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों और पहलों के बारे में सुविचारित निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। पारदर्शिता निवेशकों, ग्राहकों, नियामकों और जनता सहित हितधारकों के बीच भरोसा एवं विश्वास पैदा करती है। हितधारक संस्थाओं द्वारा अपने तरीकों और डेटा स्रोतों का प्रकटीकरण करने से रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता का आकलन कर सकते हैं। यह पारदर्शिता विश्वसनीयता बढ़ाती है और सुविचारित निर्णय प्रक्रिया को सुगम बनाती है। पारदर्शी रिपोर्टिंग उत्सर्जन डेटा के रेप्लिकेशन और सत्यापन को संभव बनाती है। विधियों, डेटा स्रोतों और गणना प्रक्रियाओं के स्पष्ट प्रलेखन से स्वतंत्र पक्ष रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन की सटीकता और विश्वसनीयता का आकलन कर सकते हैं। रेप्लिकेशन और सत्यापन उत्सर्जन डेटा की विश्वसनीयता और जीएचजी गणना की संपूर्णता को बढ़ाते हैं।

ङ) **सटीकता:** जीएचजी गणना में सटीकता के सिद्धांत में यह सुनिश्चित करने के महत्त्व पर बल दिया गया है कि उत्सर्जन अनुमान सटीक और स्पष्ट हैं। इसके लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की गणना और रिपोर्टिंग में त्रुटियों और अनिश्चितताओं को कम करने हेतु विश्वसनीय डेटा, उपयुक्त पद्धतियां और गुणवत्ता आश्वासन उपायों को नियोजित करने की आवश्यकता है। सटीक और स्पष्ट उत्सर्जन अनुमान निर्णय लेने, लक्ष्य निर्धारण और उत्सर्जन में कमी के प्रयासों में प्रगति का आकलन करने के लिए अधिक विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं। सटीक उत्सर्जन डेटा उत्सर्जन में कमी के उपायों की प्रभाविता का आकलन करने और समय के साथ प्रगति को ट्रैक करने के लिए आवश्यक है। इससे संस्थाओं को कार्यान्वित रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने और अपने उत्सर्जन प्रबंधन प्रयासों में सुविचारित समायोजन करना संभव हो पाता है। सटीक उत्सर्जन अनुमान सुविचारित निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं। संस्थाएं, नीति निर्माता और अन्य हितधारक उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियां और नीतियां बनाने के लिए उत्सर्जन डेटा पर निर्भर होते हैं। गलत अनुमानों से निर्णय और संसाधनों का आवंटन गलत हो सकता है।

एक्ज़िम बैंक जीएचजी सिद्धांतों के महत्त्व को समझता है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की सटीक गणना और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता पर बल देता है। अपनी सस्टैनेबिलिटी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए हम उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने के लिए जीएचजी प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट मानक का पालन करते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि हमारी जीएचजी गणना पद्धतियां विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जीएचजी प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट मानक के अनुरूप हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की सटीक गणना और प्रकटीकरण सुनिश्चित करती हैं।

परिचालन सीमा निश्चित करने के लिए, बैंक ने कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) सहित अपने संचालन से जुड़े प्रमुख ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के विभिन्न स्रोत चिह्नित किए हैं। इन स्रोतों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्सर्जनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके स्रोतों के आधार पर स्कोप 1, 2 या 3 के रूप में अभिहित किया गया है। पीएफसी और एसएफ का उत्सर्जन शून्य माना गया है, क्योंकि बैंक की संगठनात्मक और परिचालन सीमा के भीतर इन उत्सर्जनों का कोई प्रमुख स्रोत नहीं है।

स्कोप	स्रोत
स्कोप 1	कंपनी की कारें
	बैंक के स्वामित्व वाले डीजी सेट
	एचवीएसी रेफ्रिजरैंट लीक
	अग्निशमन यंत्र
स्कोप 2	कार्यालयों में खरीदी गई बिजली
	लीज्ड डीजी/प्राकृतिक गैस सेट
स्कोप 3	हवाई मार्ग से व्यवसाय यात्राएं (घरेलू)*

*इस वर्ष, हवाई मार्ग से की गई घरेलू यात्राओं की भी गणना की गई है। भविष्य में बैंक हवाई मार्ग से विदेशी यात्राओं की भी गणना करेगा।

एक्ज़िम बैंक ने भारत में अपने कार्यालयों से जीएचजी उत्सर्जनों की गणना की है, जिनके लिए परिचालनों पर बैंक का प्रत्यक्ष नियंत्रण है और जहां बैंक जीएचजी उत्सर्जनों को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है। इसमें बैंक के अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे स्थित घरेलू क्षेत्रीय कार्यालयों में लीज़ पर ली गई सभी सुविधाएं शामिल हैं। इन कार्यालयों के पते और संपर्क विवरण अनुलग्नक 1 में है।

रिपोर्टिंग अवधि और आधार वर्ष

रिपोर्टिंग अवधि: 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025

आधार वर्ष: वित्तीय वर्ष 2023–24

अध्याय 3: पद्धति

विभिन्न जीएचजी स्रोतों से जुड़ा डेटा संबंधित विभागों और घरेलू कार्यालयों द्वारा एक्सेल स्प्रैडशीट प्रारूप में रखा जाता है और इसकी जांच स्रोत दस्तावेज से की गई है।

जीएचजी स्रोत का प्रकार	जीएचजी गतिविधि डेटा	स्रोत	डेटा लिए जाने की फ्रीक्वेंसी
बैंक के स्वामित्व वाले डीजल जेनरेटर सेट	ईंधन की मात्रा (लीटर में)	ईंधन बिल	मासिक
बैंक द्वारा लीज़ पर लिए गए डीजल/प्राकृतिक गैस जेनरेटर सेट	ईंधन की मात्रा (डीजल के लिए लीटर और प्राकृतिक गैस के लिए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर)	ईंधन के बिल	मासिक
कंपनी की कारें	ईंधन की मात्रा – पेट्रोल (लीटर)	ईंधन के बिल	मासिक
एचवीएसी रेफ्रिजरैंट लीक	रेफ्रिजरैंट रीफिल मात्रा (किलोग्राम)	विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई राशि	वार्षिक
खरीदी गई बिजली	बिजली की खपत (केडब्ल्यूएच)	बिजली के बिल	मासिक
हवाई यात्रा*	यात्री–किलोमीटर	बैंक का आंतरिक ऑनलाइन पोर्टल (टाइस)	वार्षिक

*इस वर्ष, हवाई मार्ग से की गई घरेलू यात्राओं की भी गणना की गई है। भविष्य में बैंक हवाई मार्ग से विदेशी यात्राओं की भी गणना करेगा।

अध्याय 4: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अस्थिरता

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सारांश

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अस्थिरता निम्नलिखित अनुसार है:

स्कोप	CO_2 के समतुल्य जीएचजी उत्सर्जन (टन में)
स्कोप 1	138.89
स्कोप 2	1300.98
स्कोप 3	328.32

गत वित्तीय वर्ष के लिए उत्सर्जन डेटा के साथ तुलना

स्कोप	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए CO_2 के समतुल्य जीएचजी उत्सर्जन (टन में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए CO_2 के समतुल्य जीएचजी उत्सर्जन (टन में)
स्कोप 1	699.35	138.89
स्कोप 2	1205.03	1300.98
स्कोप 3	383.16	328.32
कुल	2287.54	1768.19

गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में हुई वृद्धि कार्यालयों में वर्ष के दौरान उच्च रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट लीकेज और संबंधित रीफिलिंग के कारण रहा।

कार्यालय-वार जीएचजी उत्सर्जन अनुलग्नक 2 में प्रस्तुत किए गए हैं। दर्शाए गए उत्सर्जनों की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए उत्सर्जन फैक्टर अनुलग्नक 3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता निम्नलिखित अनुसार है

स्कोप	प्रति कर्मचारी जीएचजी उत्सर्जन CO_2 टन में	प्रति वर्ग फुट जीएचजी उत्सर्जन, CO_2 टन में
स्कोप 1	1.23	0.003
स्कोप 2	2.11	0.005
स्कोप 3	0.67	0.002
कुल	4.01	0.010

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अस्थिरता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अस्थिरता निम्नलिखित अनुसार है:

स्कोप	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए CO2 के समतुल्य जीएचजी उत्सर्जन (टन में)	अस्थिरता % में	CO2 के समतुल्य अस्थिरता (टन में)
स्कोप 1	699.35	0	0
स्कोप 2	1205.03	0	0
स्कोप 3	383.16	10	38.32

रिपोर्ट संरक्षक

सुश्री मंजिरी भालेराव

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

ईमेल: manjiri@eximbankindia.in

अनुलग्नक 1: एक्ज़िम बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय

1. अहमदाबाद

साकार II, पहली मंजिल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के बगल में, एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद – 380 006
फ़ोन: (+91 79) 26576852 / 26576843
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

2. बेंगलुरु

रमणश्री आर्केड, चौथी मंजिल,
18, एमजी रोड, बेंगलुरु – 560 001
फोन: (+91 80) 25585755 / 25589101-04
ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

3. चंडीगढ़

सी-213, दूसरी मंजिल, एलांते ऑफिस,
औद्योगिक क्षेत्र चरण 1, चंडीगढ़ – 160 002
फोन: (+91 172) 2997960-63
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

4. चेन्नै

ओवरसीज टावर्स, चौथी और पांचवीं मंजिल, 756-एल,
अन्ना सलाई, चेन्नै- 600 002
फोन: (+91 44) 28522830 / 28522831
ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

5. गुवाहाटी

एनईडीएफआई हाउस, चौथी मंजिल, जीएस रोड,
दिसपुर, गुवाहाटी – 781 006
फ़ोन: (+91 361) 2237607 / 609
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

6. हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी
मंजिल, 6-3-639/640, खैरताबाद सर्कल,
हैदराबाद – 500 004
फ़ोन: (+91 40) 23307816-21
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

7. कोलकाता

वाणिज्य भवन, चौथी मंजिल (अंतरराष्ट्रीय)
व्यापार सुविधा केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट
कोलकाता – 700 016
फोन: (+91 33) 68261301
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

8. लखनऊ

यूनिट संख्या 101, 102 और 103, पहली मंजिल
शालीमार इरिडियम, विभूति खंड गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
फ़ोन: (+91 522) 6188035
ईमेल: lro@eximbankindia.in

9. मुंबई – क्षेत्रीय कार्यालय

8वीं मंजिल, मेकर चैंबर IV
नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
फ़ोन: (+91 22) 22861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

10. मुंबई – प्रधान कार्यालय

8वीं मंजिल, मेकर चैंबर IV
नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
फ़ोन: (+91 22) 22861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

11. नई दिल्ली

ऑफिस ब्लॉक, टावर 1, 7वीं मंजिल निकटवर्ती रिंग रोड,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली – 110 023
फोन: (+91 11) 61242600 / 24607700
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

12. पुणे

नं. 402 और 402(बी), चौथी मंजिल सिग्नेचर बिल्डिंग,
भम्बुर्दा, भंडारकर रोड, शिवाजीनगर, पुणे – 411 004
फोन: (+91 20) 26403000
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

अनुलग्नक 2: कार्यालय-वार जीएचजी उत्सर्जन 2 किलोग्राम में

मानदंड	अहमदाबाद	बेंगलूरु	चेन्नै	चंडीगढ़	गुवाहाटी	मुंबई-प्रधान कार्यालय	मुंबई-नरीमन पॉइंट	हैदराबाद	कोलकाता	नई दिल्ली	पुणे	सभी कार्यालय
स्कोप 1 (कुल)	**28.0**	**1137.2**	**0.0**	**4.5**	**14.0**	**60262.5**	**812.4**	**54911.1**	**3414.6**	**18309.9**	**0.0**	**138894.1**
1.1 स्टेशनरी का उपयोग	0.0	1117.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	532.0	0.0	0.0	0.0	1649.2
1.2 मोबाइल का उपयोग	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59450.1		699.1	3414.6	15584.4	0.0	79148.1
1.3 गैर-इरादतन उत्सर्जन	28.0	20.0	0.0	4.5	14.0	812.4	812.4	53680.0	0.0	2725.5	0.0	58096.8
प्रति कर्मचारी कुल स्कोप 1	**2.3**	**113.7**	**0.0**	**0.5**	**2.3**	**172.2**	**16.2**	**5491.1**	**243.9**	**215.4**	**0.0**	**243.7**
प्रति वर्ग फुट कुल स्कोप 1	**0.0**	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.5**	**0.1**	**6.7**	**0.4**	**0.5**	**0.0**	**0.6**
स्कोप 2 (कुल)	**23149.3**	**156441.2**	**75775.5**	**16512.1**	**11776.4**	**573937.2**	**125540.4**	**48065.7**	**28953.1**	**218789.2**	**22040.6**	**1300980.7**
2.1 खरीदी गई बिजली	23149.3	156441.2	75516.0	16501.2	11517.8	573937.2	125540.4	48065.7	28953.1	212526.9	22027.6	1294176.4
2.2 खरीदी गई ऊर्जा	0.0	0.0	259.5	10.9	258.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6262.3	13.0	6804.3
प्रति कर्मचारी कुल स्कोप 2	**1929.1**	**15644.1**	**5828.9**	**1651.2**	**1962.7**	**1639.8**	**2510.8**	**4806.6**	**2068.1**	**2574.0**	**2204.1**	**2282.4**
प्रति वर्ग फुट कुल स्कोप 2	**2.3**	**15.7**	**7.7**	**3.5**	**3.3**	**5.2**	**8.2**	**5.8**	**3.1**	**6.3**	**6.2**	**5.9**
स्कोप 1 + स्कोप 2 (कुल)	23177.3	157578.4	75775.5	16516.6	11790.4	634199.6	126352.8	102976.8	32367.7	237099.1	22040.6	1439874.8
प्रति कर्मचारी स्कोप 1 + स्कोप 2	1931.4	15757.8	5828.9	1651.7	1965.1	1812.0	2527.1	10297.7	2312.0	2789.4	2204.1	2526.1
प्रति वर्ग फुट स्कोप 1 + स्कोप 2	2.3	15.8	7.7	3.5	3.3	5.7	8.2	12.5	3.5	6.9	6.2	6.5
स्कोप 3 (कुल)												**328315.2**
3.6 व्यावसायिक यात्राएं						328315.2						
प्रति कर्मचारी कुल स्कोप 3												576.0
प्रति वर्ग फुट कुल स्कोप 3												1.5
कुल स्कोप 1 + स्कोप 2 + स्कोप 3												**1768190.0**
प्रति कर्मचारी कुल उत्सर्जन												**3102.1**
प्रति वर्ग फुट कुल उत्सर्जन												**8.0**

अनुलग्नक 3: उत्सर्जन कारक

स्कोप	गतिविधि का प्रकार	प्रकार	संदर्भ
स्कोप 1	कंपनी की कारें	पेट्रोल	कंपनी रिपोर्टिंग के लिए यूके सरकार के जीएचजी उत्सर्जन परिवर्तन कारक, डीईएनजेड/डीईएफआरए, जून 2024 https://www.gov.uk/government/publications/greenhousegas-reporting-conversion-factors-2024
	बैंक के स्वामित्व वाले डीजी सेट	डीजल	
	एचवीएसी रेफ्रिजरैंट लीक	रेफ्रिजरैंट	
	अग्निशमन यंत्र	CO2	
स्कोप 2	कार्यालयों में खरीदी गई बिजली	स्थान–संपूर्ण भारत; यूनिट केडब्ल्यूएच में	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)–भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए 2 बेसलाइन डेटाबेस, वर्ज़न 19.0. https://cea.nic.in/cdm-co2-baseline-database/?lang=en
	लीज़ पर डीजी/प्राकृतिक गैस सेट	डीजल /प्राकृतिक गैस	कंपनी रिपोर्टिंग के लिए यूके सरकार के जीएचजी उत्सर्जन परिवर्तन कारक, डीईएनजेड/डीईएफआरए, जून 2023 https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reportingconversion-factors-2024
स्कोप 3	व्यावसायिक हवाई यात्राएं	उड़ान: घरेलू	हवाई मार्ग से यात्रियों और सामग्री के परिवहन के लिए भारत के संदर्भ में हवाई यात्रा उत्सर्जन कारक, भारत जीएचजी कार्यक्रम (2015) https://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2021/12/WRI-2015-India-Specific-Air-Transport-Emission-Factors.pdf

BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION

GHG Assurance Statement

Certificate No – VVB-VER-25/021/00

Report No – 3153139511

The Greenhouse Gas Assertion reported by

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

The Export-Import Bank of India,
Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005, Maharashtra, India.
Phone: +91 22 22172600, Email: ccg@eximbankindia.in

for the financial year 2024-2025 for its operations at 12 locations (as listed below in Annex I) were verified as per **ISO 14064- 3:2019** in compliance with: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard.

We hereby confirm that based on the Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard for the monitoring period of 01st April 2024 – 31st March 2025.

Scopes opted for Demonstration: ☒ **Scope I** ☒ **Scope II** ☒ **Scope III**

Total GHG Emissions Reported (GHG Protocol)	**2,287.54**	**t CO_2 eq**
Scope 1- Direct GHG Emission	699.35	t CO_2 eq
Scope 2- Electricity Indirect GHG Emissions (location based)	1,205.03	t CO_2 eq
Scope 3	383.16	t CO_2 eq
Category 6 – Business Travel by Air	383.16	t CO_2 eq

GHG Sources: ☒CO_2 ☒CH_4 ☒ N_2O ☒HFCs ☐PFCs ☐SF_6 ☐NF_3

Level of assurance: Limited

The Export-Import Bank of India for the period 01st April 2024 to 31st March 2025 is verified by TÜV SÜD team to a limited level of assurance, consistent with the agreed verification scope, objectives, and criteria.
Level of materiality: The materiality required of this verification was considered by TÜV SÜD to be, Scope 1= 0%, Scope 2= 0%, and scope 3= **±10%** for deviations in sampled data.

This assurance statement is only valid for the mentioned scope and in combination with the objectives, explanations and criteria for evaluation specified in the following pages 2 to 5 of this verification statement.

Issued on: 17-10-2025.

Digitally signed by TUSHAR CHAUDHARI
Date: 2025.10.17 17:37:30 +05'30'

Signature:
Tushar Chaudhari
Head – Validation and Verification Body for 'Environment and Energy'

TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. Solitaire, 4th Floor, ITI Road, Aundh, Pune - 411 007, Maharashtra, India.
+91 20 66841212 cb@tuvsud.com www.tuvsud.com/in

BESCHEINIGCNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION

South Asia

Explanations to the Assurance/Verification Statement

1. Brief Description of the Verification Process

Approach followed for verification process: The verification activities included a desktop review, kick-off meeting, remote and on-site verification, clarifications and corrective action process, preparation of the verification report, and internal quality control. The verification team conducted a detailed desktop assessment to evaluate the completeness, consistency, and accuracy of the GHG Inventory reports and calculation data, including baseline and actual emissions. The review focused on monitoring plans, reporting boundaries, emission factor selection, data management systems, uncertainty assessment, and performance analysis.

During on-site verification, 1 corrective action request (CAR) was identified, and they have been subsequently addressed through appropriate corrective actions or acknowledged with a future implementation plan. No major findings or material inconsistencies were noted.

Internal quality control was ensured through a technical review process following the on-site assessment and closure of findings. After completing the verification process, the final decision was made by the Certification Body.

2. On-site Document Review and Inspection

The staff deployed by the verification body conducted a document review at the client's premises and on-site verification on 11th, 14th, 15th and 24th July 2025. In particular, the list of bank locations visited is mentioned in Annex 1 of the statement.

3. Roles and Responsibilities

The determination and reporting of GHG emissions are the sole responsibility of our client. Our role and responsibility as an accredited verification body was to independently verify the adequacy of the GHG emissions reported by our client, as well as the underlying systems and processes for data collection, data recording, data transfer, data analysis and storage, in accordance with the requirements of The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting.

TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. Solitaire, 4th Floor, ITI Road, Aundh, Pune - 411 007, Maharashtra, India.
+91 20 66841212 cb@tuvsud.com www.tuvsud.com/in

BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION

TÜV SÜD South Asia

4. **Standards for Data Processing**

The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting.

5. **Scope of Application / System Boundaries**

The GHG reporting includes the GHG emissions in Scope 1, 2 & 3 for the monitoring period of 01st April 2024 to 31st March 2025 of **The Export-Import Bank of India**. The operational control approach was chosen, meaning that all operations are included in the GHG accounting over which the company has full authority to introduce and implement its operating policies, either directly or through one of its subsidiaries.

6. **Intended Users of This Verification Statement**

a. Internal management of **The Export-Import Bank of India** for their decarbonization road map and strategies
b. External stakeholders upon request

7. **Standard for the Verification**

ISO 14064-3:2019 and The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard.

8. **Objectives of the Verification**

The assessment was performed with due regard to our impartiality in a risk-based approach. Rational procedures were applied to reach reliable and reproducible conclusions. Within the scope of our verification, sufficient amount of suitable evidence needed to be collected and explained in the verification by representatives of the company and the personnel appointed for this purpose. This was to enable sufficient traceability of the information presented with the GHG statement.

9. **Criteria**

The verification was conducted as per the requirement of The Greenhouse Gas Protocol in accordance with ISO 14064-3:2019 and in line with principles as follows: Relevance, completeness, accuracy, transparency of information and consistency.

The assessment of alternatives according to the quantification model used was carried out according to the principle of conservatism.

TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. Solitaire, 4th Floor, ITI Road, Aundh, Pune - 411 007, Maharashtra, India.
+91 20 66841212 cb@tuvsud.com www.tuvsud.com/in

TÜV®

BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION

TÜV SÜD South Asia

10. Agreed Level of Assurance

Limited

11. Materiality Threshold

The level of assurance as agreed with the client is "Limited".
It is assumed that there is ± 10% uncertainty associated with the calculation of the scope 3 emission of **The Export-Import Bank of India.**

Comment:
The materiality threshold is a benchmark for our assessment of data gaps, misstatements and non-conformities remaining at the end of our review.
Gaps, omissions, inaccuracies identified during the review that result in quantities greater than the established thresholds constitute a "material deviation", i.e. non-conformities, that must be addressed before an assurance statement can be issued.

12. Methods of Verification

a. Interviews of personnel of the organization within the scope of verification
b. Random sample checks of supporting evidence and database values
c. Review of data and information systems and methodologies for collection, aggregation, analysis and verification of information used to determine GHG emissions
d. Plausibility checks
e. Strategic analysis and risk assessment based on the submitted GHG report
f. Independent review

13. Conclusion

On the basis of our verification methodology and scope of work agreed upon, nothing has come to our attention to suggest that the GHG emissions calculation as brought out below are not materially correct and is not a fair representation of the Scope 1, Scope 2 and Scope 3 GHG emissions of **The Export-Import Bank of India** for the reporting 1st April 2024 – 31st March 2025.

With our review of the GHG reporting of **The Export-Import Bank of India**, report dated 09th October 2025, we conclude that, in all material respects, the greenhouse gas emissions and removals are presented fairly and factually in accordance with the specifications and standards used as a basis here.

Based on the results of our verification process, we confirm the reported emissions and the achievement of the agreed level of assurance and compliance with materiality thresholds.

Our assurance statement only needs to be interpreted together with the verification report number: **3153139511**.

This statement is issued in accordance with the agreement reached with the client and within the framework of our validation and verification regulations. The results documented here are based on our internal documentation dated 09th October 2025, for this verification with project no. **3153139511.**

TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. Solitaire, 4th Floor, ITI Road, Aundh, Pune - 411 007, Maharashtra, India.
+91 20 66841212 cb@tuvsud.com www.tuvsud.com/in

TÜV®

BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION ◆ BESCHEINIGUNG ◆ CONFIRMATION

South Asia

Annex 1 – List of The Export-Import Bank of India 's Operation Locations

1. **Ahmedabad:** Sakar II, 1st Floor, Next to Ellisbridge Shopping Centre, Ellisbridge P. O., Ahmedabad - 380 006, Gujarat, India. Phone: +91 79 26576852/26576843, Email: eximahro@eximbankindia.in – (Remote audit)
2. **Bengaluru:** Ramanashree Arcade, 4th Floor, 18, M. G. Road, Bengaluru - 560 001, Karnataka, India. Phone: +91 80 25585755/25589101-04, Email: eximbro@eximbankindia.in - (Remote audit)
3. **Chandigarh:** C- 213, 2nd Floor, Elante Offices, Industrial Area Phase -1, Chandigarh - 160 002, Chandigarh, India. Phone: +91 172 - 2997960-63 Email: eximcro@eximbankindia.in - (Remote audit)
4. **Chennai:** Overseas Towers, 4th and 5th Floor, 756-L, Anna Salai, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India. Phone: +91 44 28522830/31 Email: eximchro@eximbankindia.in - (On site audit)
5. **Guwahati:** NEDFi House, 4th Floor, GS Road, Dispur, Guwahati - 781 006, Assam, India. Phone: +91 361 2237607/609, Email: amit.r@eximbankindia.in - (Remote audit)
6. **Hyderabad:** Golden Edifice, 2nd Floor, 6-3-639/640, Khairatabad Circle, Hyderabad - 500 004, Telangana, India. Phone: +91 40 23307816-21 Email: eximhro@eximbankindia.in - (Remote audit)
7. **Kolkata:** Vanijya Bhawan, 4th Floor, (International Trade Facilitation Centre), 1/1 Wood Street, Kolkata - 700 016, West Bengal, India. Phone: +91 33 68261301/300, Email: eximkro@eximbankindia.in - (Remote audit)
8. **Lucknow:** Unit No. 101, 102 and 103 1st Floor, Shalimar Iridium Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow - 226010, Uttar Pradesh, India. Phone: +91 522 7145301, Email: lro@eximbankindia.in - (Remote audit)
9. **Mumbai Regional office:** 8th Floor, Maker Chamber IV, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, India., Phone: +91 22 22861300 Email: eximmro@eximbankindia.in - (Onsite audit)
10. **Mumbai Head office:** Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005, Maharashtra, India. Phone: +91 22 22172600, Email: ccg@eximbankindia.in - (Onsite audit)
11. **New Delhi:** Office Block, Tower 1, 7th Floor, Adjacent Ring Road, Kidwai Nagar (East) New Delhi - 110023, New Delhi, India. Phone: +91 11 61242600 / 24607700 Email: eximndo@eximbankindia.in - (Remote audit)
12. **Pune:** No.402 & 402(B) 4th floor Signature Building, Bhamburda, Bhandarkar Rd, Shivajinagar, Pune - 411004, Maharashtra, India Phone: +91 20 26403000 - (Remote audit)

TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. Solitaire, 4th Floor, ITI Road, Aundh, Pune - 411 007, Maharashtra, India.
+91 20 66841212 cb@tuvsud.com www.tuvsud.com/in

TÜV®

जीआरआई विषय-वस्तु इंडेक्स

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने यह रिपोर्ट जीआरआई मानकों के अनुरूप 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए तैयार की है।

संकेतक	विवरण	खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
जीआरआई 2 सामान्य प्रकटीकरण				
संस्था और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं				
2-1	संस्था का विवरण	एक्ज़िम बैंक के बारे में	4-6	
2-2	संस्था की सस्टैनेबिलिटी रिपोर्टिंग में शामिल संस्थाएं	रिपोर्ट के बारे में	7	
2-3	रिपोर्टिंग अवधि, आवृत्ति और संपर्क बिन्दु	रिपोर्ट के बारे में	7, बैक कवर	
2-4	सूचना का पुनर्कथन	रिपोर्ट के बारे में	7	
2-5	बाह्य आश्वासन	जीएचजी उत्सर्जन रिपोर्ट		बैंक ने अपनी जीएचजी उत्सर्जनों का थर्ड पार्टी सत्यापन कराया है। बैंक द्वारा अपनी अपनी रिपोर्ट के संबंध में आश्वासन बाद में लिए जाने पर विचार किया जाएगा।
गतिविधियां और कार्मिक				
2-6	गतिविधियां, मूल्य शृंखला और अन्य व्यवसाय संबंध	एक्ज़िम बैंक के बारे में, रिपोर्ट के बारे में	6-7	
2-7	कर्मचारी	विविधता और कर्मचारी कल्याण	34-35	
2-8	कार्मिक जो कर्मचारी नहीं हैं	विविधता और कर्मचारी कल्याण	34	
गवर्नेंस				
2-9	गवर्नेंस संरचना और संयोजन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	37-39	
2-10	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय का नामांकन और चयन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	37-38	
2-11	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय की अध्यक्षता	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	37-38	
2-12	प्रभावों के प्रबंधन की निगरानी में सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय की भूमिका	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	38-39	
2-13	प्रभाव प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	10, 39-42	
2-14	प्रभावों के प्रबंधन की निगरानी में सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय की भूमिका	हितधारक संबंध और भौतिक मूल्यांकन, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	7, 10, 41-42	
2-15	हितों का टकराव	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	42-43	
2-16	मुख्य चिंताएं सूचित करना	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	43	

संकेतक	विवरण	खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
2-17	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय का सामूहिक ज्ञान	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	41	
2-18	सर्वोच्च गवर्नेंस निकाय के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	41	
2-19	पारिश्रमिक नीतियां	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 77-78	
2-20	पारिश्रमिक निर्धारित करने की प्रक्रिया	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 77-78	
2-21	वार्षिक कुल क्षतिपूर्ति अनुपात	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 77-78	
रणनीतियां, नीतियां और प्रक्रियाएं				
2-22	संपोषी विकास रणनीति की विवरणी	प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	8-9	
2-23	नीतिगत प्रतिबद्धताएं	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	41	
2-24	नीतिगत प्रतिबद्धताएं लागू करना	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	41	
2-25	नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	43	
2-26	शिकायत एवं सचेतक प्रक्रिया	विविधता और कर्मचारी कल्याण, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	34, 42-43	
2-27	नियम, विनियमों का अनुपालन	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	37, 42, 45-46	
2-28	सदस्यताएं	संवर्धन और विकास भूमिका, वार्षिक रिपोर्ट	वार्षिक रिपोर्ट पृष्ठ 45-46	
2-29	हितधारक संबंध दृष्टिकोण	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन	10	
2-30	सामूहिक सौदा करार	लागू नहीं		कार्य शर्तें और कर्मचारियों के रोजगार की शर्तें सामूहिक सौदा करार के आधार पर प्रभावित या निर्धारित नहीं होती है।
जीआरआई 3 प्रभाव संबंधी मदों का प्रकटन				
प्रभाव संबंधी विषय				
3-1	प्रभाव मदों को निर्धारित करने की प्रक्रिया	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन	10	
3-2	प्रभाव मदों की सूची	हितधारक संबंध और प्रभाव मूल्यांकन	11, 12, 13	

संकेतक	विवरण	खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
आरआई 200 आर्थिक प्रकटन				
अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव				
203-1	इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश और सेवाओं को सहायता	पर्यावरणीय प्रभाव, समावेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रबंधन	19-23, 25-32	
203-2	प्रमुख अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव	पर्यावरणीय प्रभाव, समवेशी विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रबंधन	19-23, 25-32	
जीआरआई 300 पर्यावरणीय प्रकटीकरण				
305-1	प्रत्यक्ष (स्कोप 1) जीएचजी उत्सर्जन	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	15-16, जोड़ा जाना है	
305-2	अप्रत्यक्ष ऊर्जा (स्कोप 2) जीएचजी उत्सर्जन	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	15-16, जोड़ा जाना है	
305-3	अन्य अप्रत्यक्ष (स्कोप 3) जीएचजी उत्सर्जन	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	15-16, जोड़ा जाना है	
305-4	जीएचजी उत्सर्जन गहनता	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन, एक्ज़िम बैंक की जीएचजी उत्सर्जन	15-16, जोड़ा जाना है	
305-5	जीएचजी उत्सर्जन में कमी	पर्यावरणीय प्रभाव का प्रबंधन	16-17	
जीआरआई 400 सामाजिक प्रकटीकरण				
नियोजन				
401-3	पैतृक अवकाश	विविधता और कर्मचारी कल्याण	35	
प्रशिक्षण और शिक्षा				
404-2	कर्मचारी कौशल उन्नयन और ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम	विविधता और कर्मचारी कल्याण	35	
विविधता और अवसरों की समानता				
405-1	विविध गवर्नेंस निकाय और कर्मचारी	विविधता और कर्मचारी कल्याण	34-35	
गैर-भेदभाव				
406-1	भेदभाव की घटनाएं और सुधारात्मक कार्रवाई	विविधता और कर्मचारी कल्याण	34	
स्थानीय समुदाय				
413-1	स्थानीय समुदाय की संपर्क, प्रभाव का मूल्यांकन और विकास कार्यक्रम	समावेशी वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक विकास	25-32	
ग्राहक निजता				
418-1	ग्राहक निजता का उल्लंघन और ग्राहक डेटा की क्षति से संबंधित शिकायतें	उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और गवर्नेंस	43-45	

प्रधान कार्यालय

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400005
फोन : (+9122) 22172600
ई-मेलः - info@eximbankindia.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद

साकार ।।, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद - 380 006
फोन: (+91 79) 26576852/26576843
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बेंगलूरु

रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड,
बेंगलूरु - 560 001
फोन: (+91 80) 25585755/25589101-04
ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़

सी-213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय,
औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, चंडीगढ़ - 160 002
फोन: (+91 172) 2997960-63
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै

ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवीं मंज़िल, 756-एल,
अन्ना सलाई, चेन्नै - 600 002
फोनः (+91 44) 28522830/28522831
ई-मेलः eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी

नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी - 781 006
फोन: (+91 361) 2237607/609
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद - 500 004
फोन: (+91 40) 23307816-21
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

इंदौर

इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
यूनिट नं. 800-802, 8वीं मंज़िल, मालू 01 प्लॉट नम्बर 26,
स्कीम नंबर 94 C रिंग रोड, इंदौर 452010
फोन: (+91 731) 4137891
ई-मेल: eximiro@eximbankindia.in

कोलकाता

वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापारसुगमीकरण केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016
फोन: (+91 33) 68261301
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

लखनऊ

यूनिट नं. 101, 102 और 103, पहली मंज़िल,
शालीमार इरीडियम, विभूती खंड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
फोन: (+91 522) 6188035
ई-मेल: lro@eximbankindia.in

मुंबई

8वीं मंज़िल, मेकर चैंबर IV, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021
फोन: (+91 22) 22861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

नई दिल्ली

ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, सातवीं मंज़िल, रिंग रोड के साथ,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली - 110 023
फोन: (+91 11) 61242600/24607700
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे

नं. 402 और 402(बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग,
भाम्बुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004
फोन: (+91 20) 26403000
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

लंदन (शाखा)

5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन- ईसी2वी 8बीबी,
यूनाइटेड किंगडम, फोन: (+44) 20 77969040
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान

5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग,
18-दॉक्तर क्रोज़े रोड, प्लेत्यो,
आबिदजान,
कोत दि'वार
फोन: (+225) 27 20242951/37
ई-मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

ढाका

मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट संख्या 11,
रोड नंबर 11, ब्लॉक जी, बानानी,
ढाका - 1213
बांग्लादेश
फोनः (+880) 255042444
ई-मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई

लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पोओ बॉक्स नं. 506541,
दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
फोन: (+971) 4 3637462
ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग

दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट
एक्सटेंशन 3, सैंडटन 2196,
जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका
फोन: (+27) 11 3265103/13
ई-मेल: eximjro@eximbankindia.in

नैरोबी

यूनिट नं. 1.3, द ओवल,
जालाराम रोड, वेस्टलैंड्स,
नैरोबी,
केन्या
फोन: (+252) 741757567
ई-मेल: eximnairobi@eximbankindia.in

साओ पाउलो

यूनिट 1603,विश्व व्यापार केंद्र,अविनिडा दास नाकोस,
यूनिदास 12.551, साओ पाउलो 04578-903,
ब्राज़ील
फोन: (+55) 11 3080 7561
ई-मेल: eximsaopaulo@eximbankindia.in

सिंगापुर

20, कोलियर क्वे, #10-02
सिंगापुर - 049319
फोन: (+65) 65326464
ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी.सी.

1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू,
सूइट 1202,
वाशिंगटन डी.सी. - 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका
फोनः (+1) 202 223 3238
ई-मेलः eximwashington@eximbankindia.in

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड,
मुंबई - 400005 | फोन: (91 22) 22172600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in | Website: www.eximbankindia.in
हमें फॉलो करें